हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

17 जनवरी, 1975

खण्ड 1, अंक 14

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भाुक्रवार, 17 जनवरी, 1975

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उतर	(14)1
नियम 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे गए	(14)28

तारांकित प्र नों के लिखित उतर	
अतारांकित प्र न एवं उतर	(14)31
अध्यक्ष महोदय द्वारा निरूपण	(14)34
कार्य–मन्त्रणा समिति का सातवां प्रतिवेदन	(14)36
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(14)37
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(14)37
बहिर्गमन	(14)39
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन पे ा करना	(14)41
दी हरियाणा एप्रोप्रिए ान बिल, 1975	(14)41
दी हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं. 3) बिल, 1975	(14)43
दी हरियाणा रिक्वीजी ानिंग एण्ड एक्वीजी ान आु मूवेबल प्रोपर्टी बिल, 1975	(14)56
दी हरियाणा डिवैल्पमैंट एण्ड रैगुले ान आफ अर्बन एरियाज बिल, 1975	(14)59

हरियाणा विधान सभा

भुक्रवार, 17 जनवरी, 1975

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उतर

Mr. Speaker: Question hour.

Teachers and Masters of Erstwhile Pepsu State

***1218. Ch. Dal Singh:** Will the Minister for Education be pleased to state:-

(a) whether seniority of the teachers and masters of the erstwhile Pepsu State who have been allocated to the State of Haryana have decided and fixed by the Government and grades have been given to them and if not;

(b) the time by which the seniority of the teachers and masters as referred to in part (a) above will be decided and fixed?

ि ाक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमति प्रसन्नी देवी):

(क) जी हां।

(ख) प्र न उत्पन्न नहीं होगा।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि इनकी सीनियारिटी कब से फिक्स की है ?

श्रीमति प्रसन्नी देवीः ये पंजाब के वक्त के हैं, पैप्सू का तो सवाल ही नहीं। हरियाणा बननेसे पहले के टीचर हैं।

चौधरी दल सिंहः पैप्सूसे जो टीचर आये थे, उन में से टीचरों की सीनियारिटी फिक्स नहीं हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय इस तरफ तवज्जुह देंगे कि जिनकी सीनियारिटी फिक्स नहीं हुई है, उनकी सिनियारटिी फिक्स की जाए, क्योंकि वे भी स्टेट के मुलाजिम हैं ?

ि ाक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक): हमारे नोटिस में ऐसी बात नहीं है। अगर आनरेबल मैंबर के नोटिस में ऐसे टीचर हैं तो हमें बता दें, देख लेंगे।

श्री अमर सिंहः क्या यह हकीकत है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो टीचर है उनका खाता बकाया चल रहा है।

श्री माडू सिंह मलिकः किस किस्म का खाता?

श्री अमर सिंहः सीनियारिटी का।

श्री माडू सिंह मलिकः जो नए जिले बने है, उनमें सीनियारिटी फिक्स होनी है, यह देखकर कि कौन सा टीचर किस जिले में गया है।

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, एन०डी०एस० और एन०एफ०सी० के कुछ टीचर्ज जो सैन्ट्रल गवर्नमैंट के है, हरियाणा सरकार को मिल हुए है लेकिन उन के बारें में अभी तक यह फैसला नही हो सकता कि वे सैन्ट्रल गवर्नमैंट के मुलाजिम रहेंगे या हरियाणा सरकार के रहेंगे। इनको ंग्रेड, तरक्की बगैरह कुछ नही मिलती। क्या सरकार इन टीचर्ज का फैसला करवाने का प्रयत्न करेगी ताकि उनके मन में कोई परे ाानी न रहे?

श्री माडू सिंह मलिकः यह सप्लीमैट्री तो इस सवाल के अराईज नही होता। लेकिन मै यह बता देता हूं कि इनका ऐडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल तो हमारे पास है, लेकिन बाकी सब चीजों गवर्नमैंट आफ इंडिया के हाथ में है।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो एन०डी०एस० के इंस्पैक्टर है, उनकों हरियाणा प्रांत से बैनिफिट मिलता है या सैन्ट्रल गवर्नमैंट से?

श्री माडू सिंह मलिकः सैन्टल से मिलता है।

चौधरी ि ाव राम वर्माः सैन्ट्रल सरकार उनका बोझ उठाती है, तरक्की देती है और रिटायर होने के बाद पैन् ान का खर्चा भी देगी। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जब वे हरियाणा

सरकार का काम करे है तो हरियाणा सरकार उनको क्या तरक्की नही देती?

श्री माडू सिंह मलिकः वे हरियाणा गवर्नमैंट के मुलाजिम नही है। सैन्ट्रल गवर्नमैंट के मुलाजिम है। हमारे पास तो उनका ऐडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल है।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय, बताएंगे कि एन०डी०एस० इन्स्ट्रक्टर्ज की तरफ से सरकार को कोई मैमोरैन्डम या अर्जी मिली है। कि उनका फैसला कर दिया जाए, और उनकों बैनेफिट मिलना चाहिए?

श्री माडू सिंह मलिकः आई जरूर है लेकिन उसका हमारे से कोई ताल्लुक नही है सैन्ट्रल गवर्नमैंट फैसला करेगी।

चौधरी पीर चन्दः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इरीगे ान डिपार्टमैंट के अन्दर कितने सस्पैड किए गए है और सस्पै ान के बाद कितने वापिस लिए गए है?

Mr. Speaker: Order please. It is not a supplementary to this question.

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, एन०डी०एस० के जितने इंस्ट्रक्टर्ज है, इनका खर्चा सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने ले लिया है, क्योंकि वे सैन्ट्रल गवर्नमैंट के ऐम्प्लाई है। अगर आप उनके ग्रेड, तरक्की वगैरा की सिफारि ा सैन्ट्रल गवर्नमैंट को भेज दे, तो

उनकों बैनिफिट मिल जाएगा। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस किस्म की सिफारि ा भेजने में कोई रूकावट है?

श्री माडू सिंह मलिकः सिफारि ा करने का सवाल ही पैदा नही होता। जो नया बैनिफिट मिलता है, उसे बारें में भारत सरकार को लिखा हुआ है क जो दूसरे कर्मचारियों को मिलता है, वह इनकों भी दे दिया जाए।

Export of Cattle

***1231 Ch. Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Agriculture be pleased—

(a) Whether any cattle are being exported form the state in the name of useless cattle;

(b) If so, the number of such cattle exported during the year 1974;

(c) Whether the Government is considering to stop the export of such cattle and make them useful by improving their conditions; and

(d) If so, the time by which the said work will be completed?

कृशि मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(ए) प ाुओं के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध न होने के कारण नकारा प ाुओं के नाम से प ाु निर्यात करने का प्र न नही उठता।

(बी) कुल प ु (गऊएं, बैल तथा उनकी सन्तान) जो 1 जनवरी, से 31 अक्तूबर, 1974 तक निर्यात किए गए की संख्या 33,521 है।

(सी) सरकार के विचाराधीन प ुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव नही है। सरकार ने दे ी कैटल को उन्नत करने के लिए उपर्युक्त सलैक्टिव संकर प्रजनन कार्यक्रम आरम्भ किया है।

(डी) दे ी कैटल का उत्रत करने हेतु अत्यधिक समय की आव यकता है। अतः यह कहना सम्भव नही है कि यह कार्य कितने समय में पूर्ण हो सकेगा।

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि प ुओं के निर्यात पर कोई पाबन्दी नही है, इसलिए नकारा प ुओं के नाम से प ु निर्यात करने का सवाल ही पैदा नही होता। लेकिन मुझे मालुम है कि प ु हजारों की संख्या में जा रहे है। इनक बारें में सरकार क्या सोच रही है?

चौधरी भजन लालः कल भी चीफ मिनिस्अर साहब ने बताया था कि पाबन्दी लगाने का विचार नही है। इसी किस्म का सवाल चार दिन पहले भी आया था, उस वक्त भी जवाब दे दिया था और आज भी दे रहे है कि सरकार क विचारधाीन ऐसा कोई प्रस्ताव या कोई प्रपोजल नही है कि प ुओं की एक्सपोर्ट पर पाबन्दी लगाये क्योंकि भारत सरकार बीच में आती है। भारत

सरकार को पूछ कर पाबन्दी लगानी पड़ती है। लेकिन सरकारका क्या प ाुओं की ऐक्सपोर्ट पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई विचार नही है।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, इस सै ान में सरकार द्वारा माना गया था कि जो प ा बाहर जाते है, उनकों काटा जाता है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि वे ऐसी इंस्ट्रक ान्ज जारी करने के लिए तैयार है कि जो प ा बाहर जाएं, वह वापिस फिर आ जाएं?

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): मैने यह आ वासन दिया था कि ट्रेजरी बैचिज और अपोजी ान बैचिज के सदस्यों की एक कमेटी बना देगे। कमेटी जो सिफारि ा करेगी, उसकों इंपलीमैंट कर देगे।

श्री अमर सिंहः मंत्री महोदय ने बताया कि वर्श 1974 में 33,521 प ा बाहर भेजे गए है। क्या मंत्री महांदय बताएंगे कि इनमें से कितने प ा दुधारू है जो हरियाणा राज्य से गए है?

चौधरी भजन लालः 10029 प ा।

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, जमींदार उन प ाुओं को बाहर भेजते है, जो दूध देने से हट जाए, या वे बैल जा बूढ़े हो जाएं, उनकों भेजते है, क्योंकि वे इनका खर्चा बर्दा त नही कर सकते। क्या मंत्री महोदय ऐसे जमीदारों की ग्रांट वगैरा देने

का प्रबन्ध करेगे ताकि वे ऐसे प ाुओं का खर्चा बर्दा त कर सके और बाहर न भेजे?

(कोई उत्तर नही दिया गया।)

चौधरी मनफूल सिंहः मंत्री महोदय ने प ाुओं की संख्या 33,521 बताई है। क्य वे बताएंगे कि इनमें से गांए कितनी है?

चौधरी भजन लालः ये सारी गाएं ही है, और गांयों का ही सवाल है।

Industrial Estate Hansi

***1239. Sh. Amar Singh:** Will the Minister for industries be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct industrial Estate at Hansi; if so, when and the steps taken or proposed to be taken by the Government so far in this behalf.

Industries Minister (Sh. Harpal Singh): No. However, an industrial area has been set up by the colonization department in the new Mandi Township.

श्री अमर सिंहः जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि कालोनाईजे ान डिपार्टमैंट ने काम भाुरू कर दिया है, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इसके लिए कितनी जमीन ऐक्वायर की है और कुल कितना पैस खर्च करने की योजना है?

श्री हरपाल सिंहः तीन साढ़े तीन एकड़ जमीन है, जिसमें इंडस्ट्रियल प्लाट काट कर औक ान भुरू कर दी है, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इसके लिए कितनी जमीन ऐक्वायर की है और कुल कितना पैसा खर्च करने की योजना है?

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि 1975 में हरियाणा प्रांत में इंडस्ट्रिज के लिए रख लेगे।

Mr. Speaker: This is a question about Hansi.

चौधरी ि िव राम वर्माः यह सवाल तो वैसे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के बारें में है। मै एक सवाल मंत्री महोदय ये पूछना चाहता हूं कि नीलों खेड़ी में इंडस्ट्रिल भौड्ज बने हुए है, लेकिन उनका झगड़ा, सरकार के साथ चल रहा है? क्या सरकार उस झगड़े को जल्दी से जल्दी निपआ देगी, ताकि काम चलाू हो सके?

Mr. Speaker: Order please. It is not a supplementary to this question.

चौधरी पीर चन्दः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो हांसी के अन्दर जमीन एक्वायर की है, उस पर भौड्ज बना कर नही देंगे, केवल प्लाट देगे।

श्री प्रेमसुख दासः स्पीकर साहब, सिरसा बहुत बड़ा भाहर हे, काफी आबादी हैं क्या उसके अन्दर भी इंडस्ट्री बनाने का इरादा है?

Mr. Speaker: Order please. It is not a supplementary to this question.

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि टोटल कितने प्लाट दिए जाने का फैसला है और वे कब तक मुकम्मल किए जाएंगे?

श्री हरपाल सिंहः 20 प्लाट बनाए है। इसके बाद जितनी डिमांड होगी, उसके मुताबिक आगे और बना दिए जाएंगे।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि प्लाटों के अलाटमैंट का क्या प्रोसीजर है?

श्री हरपाल सिंहः कोलोलाईजे ान वाले अलाट नही करते। वे तो औक ान करते है।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो प्लाट देंगे, उनमें हरिजनों के लिए कितने प्लांट सुरक्षित करेंगे?

श्री हरपाल सिंहः उसमें कोई रिजर्वे ान नही है, लेकिन प्रैफ्रैंस जरूर कर दी जाएगी, अगर हरिजन लेना चाहें।

चौधरी ि ाव राम वर्माः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी बताया कि प्लाट्स ऑक ान किए जाएंगे। क्या वे बताने की कृपा करेंगे क ऑक ान में गरीब आदमी कैसे ले सकेगे?

श्री हरपाल सिंहः जहां वे लेना चाहेगे, उसके लिए गवर्नमैंट इंतजाम कर देगी।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, मिनिस्अर साहब ने अभी फरमाया कि ि ाडयूल्ड कास्ट्स को प्रैफ्रैंस दी जाएगी। क्यो वे बताने की कृपा करेंगे कि कुछ प्लाट्स अपंग हरिजन ऑक ान कराए जाएंगे, या किसी ढंग से प्रैफ्रैंस दी जाएगी?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, अीाी तो ऑक ान ओपन है, लेकिन अगर हरिजन लेना चाहेंगे, तो इस बात की कंसीडर कर लेगे।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय, बतलाने की कृपा करेगे क सरकार इस बात पर विचार करेगी कि डिवैल्पमैंट चार्जिज आदि मिलाकर प्लाट्स पर जो कास्ट आती हो, उसी कास्ट पर उसे लोगों को अलाट कर दिया जाये बजाय ऑक ान करने के, ताकि जैनुअन आदमियों को वे मिल सकें?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, यह ऑक ान का तरीका कालोलाईजे ान वालों का है। अगर प्लाट्स की डिमांड ज्यादा होगी, तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट भी एरिया ऐक्वायर करके प्लाट्स की अलाटमैंट कर सकता है।

Export of Industrial Items

***1263. Ch. Prabhu Ram:** Will the Minister for industries be pleased to state—

(a) The number of industrial items exported from the state during the year 1973-74 together with the extent of

increase in the value of the items exported as compared to the year 1968;

(b) The names of the main industrial items which are being exported from the state.

(c) Whether any new item has been included in this export list during the last two years; and

(d) If so, the names thereof together with the value of such exported items?

Industries Minister (Sh. Harpal Singh):

(a) "57. The increase in the value as compared to the year 1968 was Rs. 9.368 corers."

(b) A statement is laid on the table of the House.

(c) Yes.

(d) (i) Readymade garments: Rs. 20.00 Lacs.

(ii) Looking glass : Rs. 1.31 Lacs.

STATEMENT

1.	Galvanised m.s. and black pipes and tubes
2.	Hand tools
3.	Guar Gum.
4.	Cotton Yarn.

5.	Handloom products including woolen carpets.
6.	Cotton bales
7.	P.V.C. insulated wire and cables
8.	Leather footwear
9.	Rubber shoes (canvas)
10.	Tyres & Tubes.
11.	Bicycle & Bicycle parts
12.	Printing Machines
13.	Writing & Carbon Paper
14.	Automobiles parts & Components
15.	Rubber goods
16.	Sports goods
17.	De-oiled cake rice bran.
18.	Sanitary wares
19.	Stationary items
20.	Brass cocks & gun metal cocks
21.	Scientific instruments
22.	Air conditioners
23.	Refrigerators

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि 1973–74 के मुकाबले में 1974–75 में ऐक्सपोर्ट की वैल्यू कम हुई है या ज्यादा हुई है और कम या ज्यादा हुई है तो कितनी?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, ऐक्सपोर्ट की वैल्यू किसी साल भी कम नही हुई है, बल्कि हर साल बढ़ती रही है।

श्री गिरी ा चन्द्र जो ीः अध्यक्ष महोदय, पार्ट 'सी' के जवाब में मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि कुछ नई आइटम्ज भी ऐक्सपोर्ट में भाामिल हुई है। क्या वे बताने की कृपा करेगे कि वे कौन–कौन सी आइटम्ज है?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, ऐक्सपोर्ट की वैल्यू किसी साल भी कम नही हुई है, बल्कि हर साल बढ़ती रही है।

श्री हरपाल सिंहः इसमें कई तरह के रेडीमेड गारमैन्ट्स आ गए है और भी कई आइटम्ज है। इनमें ज्यादा हैडलूम्ज की है।

चौधरी फूल सिंह कटारियाः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रैडीमेड गारमैट्स में लैदर गारमैट्स भी ऐक्सपोर्ट कर रहे है?

श्री हरपाल सिंहः जी हा, लैदर गारमैट्स भी ऐक्सपोर्ट हो रहे है।

चौधरी चांद रामः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो आइटम्ज ऐक्सपोर्ट होते है, वे सीधे दस्तकारों से परचेज करके ऐक्सपोर्ट किए जाते है या बीच में कोई एजेंसी है, जो इस काम को करती है?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, बड़े–बड़े इंडस्ट्रियलिट्स तो डायरैक्ट ही करते है, और बाकियों के लिए ऐक्सपोर्ट हाउसिज भी है। उनमें मिडलमैन भी होते है, जो छोटे–छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट्स से लेकर के आगे ऐक्सपोर्ट करते है। हमारा स्माल स्केल इंडस्ट्रिल कार्पोरे ान भी यह काम करता है।

श्री रामधारी गौड़ः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो रैडीमेड गारमैट्स ऐक्सपोर्ट होते है, उनमें हरियाणा की घगरी भी है? –(हंसी)–

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, अगर गोहाना वाले घगरी तैयार कर दे, तो ऐक्सपोर्ट का इंतजाम में कर दूंगा।–(हंसी)–

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि हरियाणा स्माल स्केल इंडस्ट्रियल कार्पोरे ान ने 1971–72 से अब तक कितनी ऐक्सपोर्ट की है?

श्री हरपाल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि हरियाणा स्माल स्केल इंडस्ट्रियल कार्पोरे ान ने 1971–72 में

10,96,732 रूपये की, 1972–73 में 14,02,195 रूपये की और 1973–74 में 9,82,751 रूपये की ऐक्सपोर्ट की है।

चौधरी चांद रामः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात के पे ो नजर कि जो छोटे दस्तकार है, उनकों ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, सरकार इन चीजों को सरकारी एजेंसी के जरिए ही भेजने की कोि ाश करेगी?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैने अभी बताया था कि इस काम को हरियाणा स्टेट स्केल इंडस्ट्रियल कार्पोरे ान आलरेडी कर रहा है। इसके अलावा एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए हमने कई एक स्टैम्पस लिए है, जैसे कि जो यूनिटस माल एक्सपोर्ट करते है, उनका पावन कट नही होता, उसकी आइटम्ज पर स्टेट सेल्ज टैक्स नही लगाया जाता, जो चीजे बनाते है, उनके लिए रा–मैटीरियल ज्यादा दे रहे है, स्केयर्स मैटीरियल हासिल करने में भी उनकी मदद कर हरे है, उनके माल को डिसप्ले भी करते हैं देहली में एम्पोरियल के साथ ही हमारे एक्सपोर्ट हाउसिज है, जहां हर आइटम को डिसप्ले किया जाता है। इसके अलावा जो हमारी कार्पोरे ान के द्वारा अपना माल एक्सपोर्ट करना चाहते है, उनका माल भी एक्सपोर्ट करते है।

चौधरी राम लाल वधवाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी बताया कि 1971–72 में 10,96,732 रूपए की, 1972–73 में

14,02,195 रूपए की और 1973–74 एक्सपोर्ट कम होने का क्या कारण है?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, इस साल इंडस्ट्रियल प्रोडक ान ही कम हुई है क्योंकि इस साल तक तो रा–मैटीरियल की कमी थी दूसरे पावर भाार्टेज भी थी। इसके अलावा ऐसे ही और कारण भी थे जिनकी वजह से जितना माल एक्सपोर्ट होना चाहिए था वह नही हो सका।

श्री हरि सिंहः क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि अपनी हरियाणा स्टेट में एक्सपोर्ट ज्यादा होती है या इम्पोर्ट?

श्री हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा स्टेट में एक्सपोर्ट ही ज्यादा होती है, इम्पोर्ट कम होती है।

चौधरी चांद रामः क्या वजीर साहब बताएंगे कि एक्सपोर्ट की जो मेजर आइटम्ज है, वे क्या है?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, तकरीबन हरेक चीज ही एक्सपोर्ट होती है। मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग गुडज है, स्टील पाईप जो बनते है, वे जा रहे है, ट्रैक्टर्ज भी हमारे एक्सपोर्ट हो रहे है। हैडलूम्ज का माल जो पानीपत में बनता है, बहुत जा रहा हे, रेडीमेड गारमैट्स भी जा रहे है, साईटिफिक इंस्ट्रमैंट्स की एक्सपोर्ट हो रही है और गवारगम भी एक्सपोर्ट हो रहा है। लगभग 60 आईटम्ज है, जो एक्सपोर्ट हो रही है।

Co-Operative Societies in the State in the Year 1968

***1273. Dewan Hans Raj Suri:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state—

(a) The total number of co-operative societies in the state as at present together with the increase in the number of such members since 1968?

(b) The number of members of all such societies as at present together with the increase in the number of such members since 1968?

State Minister for Cooperation & Local Government (Ch. Goverdhan Dass Chauhan):

As the period of cooperative year is from 1st July to 30th June, the requisite information is given accordingly:-

(a) (i) as on 30th June, 1968 12,550

(ii) As on 30th June 1974 13,898

(b) 14.19 lacs. There has been an increase of 4.62 lacs in membership since July, 1968.

श्री हरि सिंहः क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपार करेंगे कि हरियाणा स्टेट गवर्नमैंट ने को–आप्रेटिव सोसायटीज की वकिग को सुधारने के लिए रीसैन्टली क्या–क्या कदम उठाए है?

सिंचाई एंव विद्युत मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, आपकों याद होगा कि पिछले दिनों इसी प्रकार के एक प्र न का उत्तर में मैने बड़े विस्तार के साथ बतलाया था।

को–ओप्रेटिव सोसायटीज की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने अभी पिछले दिनों बड़े एफैटिव कदम उठाए हैं जब पहले ऋण बैंक या सोयासटी से ले लता था, लेकिन अब हमने चैक सिस्टम भाुरू कर दिया है और चेक के द्वारा ऋण दिया जाता है इसके अलावा हमने आइडैटिटी कार्ड भी बनवाए है। जो रीयल लोनी होता है, उसका फोटो साथ होता है ताकि चैक कोई दूसरा आदमी जाकर कै ा न करवा ले। ऋण की रिकवरी के लिए भी बहुत अच्छा समुचित प्रबन्ध किया है और जो गड़बड़ सोसायटियों के अन्दर होती थी, उसकी रोकथाम के लिए को–आप्रेटिव डिपार्टमैंट में ही एक पुलिस सैल क्रिएट किया गया है। जहां भी कोई थोड़ी सी गड़बड़ की संभावना होती है, सूचना मिलते ही उसकी फौरन रोकथाम की जाती है।

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, को आप्रेटिव सोसायटीज की वकिग को सुधारने के लिए आररेबल मिनिस्टर साहब ने बहुत से उपाय बताए है लेकिन क्या वे बताने की कृपा करेगे कि आज से पहले जो बहुत से कर्जे बोगस ढंग से बांटे गए है, उनकों रिकवर करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

श्री बनारसी दास गुप्तः अध्यक्ष महोदय, उसके लिए पूरे प्रबन्ध कर रहे है, जांच कर रहे है, छान–बीन कर रहे है और जो दोशी व्यक्ति पाए जाते है, उनके विरूद्ध पुलिस केसिज रजिस्टर कराते है, अदालत में केसिज चल रहे है, कुछ केसिजल में

सेटलमैंट हो गई है। पिछले केसिज को हम सैटल करने की पूरी–पूरी कोि ा ा कर रहे है।

चौधरी चांद रामः चौधरी अमर सिंह जी ने एक सवाल पूछा था और उसका अभी आपने जवाब भी दिया है। उन्होने सवाल पूछा था कि क्या कोई कमेटी बनाई जाएगी; कोई एजेंसी बनेगी जो यह मालूम करें कि फलां आदमी बोगस कर्जा लिया है और दूसरे आदमी से पैसे की वसूली हो रही है। ऐसा बड़े लार्ज स्केल पर हो रहा है। असल आदमी ने कर्जा लिया नही, किसी ने उसका झूठा, फर्जी अंगूठा लगाकर पैसा ले लिया हैं अबोहर गांव का भी ऐसी ही केस है। बड़े लार्ज स्केल पर ऐसा हो रहा है। क्या मंत्री महोदय कोई सब कमेटी बनाएंगे, एजेंसी बनाएंगे जिससे झूठे और बोगस केसिज कापता चल सकें?

श्री बनारसी दास गुप्तः अध्यक्ष महोदय, चौधरी चांद राम का यह सप्लीमैट्री नही था, यह तो पूरा भाशण था, लेकिन मै फिर भी उत्तर दे देता हूं। जैसा कि अभी मैने निवेदन किया पूरे कदम इस बात के लिए उठाए गए है, ताकि आइन्दा किसी प्रकार की कोई गड़बड़ न हो। जो पुराने कसिज है, उनके लिए समिति बनाने की कोई आव यकता नही है। तमाम अधिकारियों को हिदायत दे दी गई है कि सख्ती से पुराने केसिज की जांच करें और वसूली के पूरे प्रबन्ध करें। वे चल रहे है।

श्री गुलाब सिंह जैनः क्या गवर्नमैंट ने इस बात का निर्णय किया है है कि यह जो बोगस लोन की बात चल है, वह किस पीरियड में ज्यादा हुई है? क्या इस बात पर विचार करेगे?

श्री बनारसी दास गुप्तः हमारी गवर्नमैंट से पहले की गवर्नमैंट के टाईम में ज्यादा हुए है। पिछले पांच–चार साल से ऐसी कोई बात नही हुई।

चौधरी ि ाव राम वर्माः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह ओवर डयू की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है? क्या वे इसकों कम करने के प्रयत्न करेंगे?

श्री बनारसी दास गुप्तः ओवर ड्यू बढ़ते नही जा रहे है। हमारी तो बहुत अच्छी वसूली हो रही है, जिसका रिकार्ड है। पहले के पुराने केसिज के विशय में मैने निवेदन कर दिया कि उनका प्रबन्ध कर रहे है।

श्री हरि सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो को–आप्रेटिव सोसायटी का लोन मिलता है, वह किसी खास ट्रेड के लिए मिलता है? अगर कोई उसको ठीक यूटेलाईज न करें तो क्या उसकी फरदर चैकिग करते है कि वह किस पर्पज के लिए खर्च कर रहा है?

श्री बनारसी दास गुप्तः हमारा फील्ड स्टाफ है, इंस्पैक्अर है, असिस्टैन्ट रजिस्ट्रार है, वे सब इस बात को चैक करते है कि जो लोन दिया गया है, वह सही यूटेलाईज हुआ है या नही। अगर

कोई बात गड़बड़ की नजर आती है, तो उसके खिलाफ फौरन कार्यवाही की जाती है।

चौधरी दल सिंहः क्या यह बात दुरूस्त है कि असिस्टैन्ट रजिस्ट्रार के हकूक दिए है, इख्तियार दिए है कि उनके वारन्ट गिरफ्तारी इ ा करे, जिन लोगों को कि त बकाया है? दूसरी तरफ पुलिस फोर्स भी भेज दी हैं दोनों ही काम कर दिए है। इस लोन के विकटम ज्यादा हरिजन है क्या इस बात को ध्यान में रखत हुए कियह जो वारन्ट गिरफ्तारी जारी करना है, यह को–आप्रेटिव मूवमैट के मुद्दे में बाधा है, इसको वापिस लेने की कोि ा ा करेगे?

श्री बनारसी दास गुप्तः जैसा कि मैने निवेदन किया क रिकवरी के लिए पूरे प्रबन्ध किए जा रहे है। एक मैबर साहब तो यह कहते है कि बहुत तेजी से रिकवरी नही हो रही है–ओवर डयू है, दूसरें मैंबर साहब यह कहते है कि सख्ती की जाती है, उनमें ज्यादा हरिजन है। मै यही कहूंगा कि उनके अलावा दूसरे व्यक्ति भी है। जो भी डिफाल्टर होता है, उसे विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाती है।

श्री अमर सिंहः जैसा कि अभी मिनिस्अर महोदय ने बताया है कि बोगस लोन जहां है, उनसे रिकवरी की जा रही है। जिन केसिज की अभी छान–बीन जारी है कि किसी ने सोसाइटी से झूठे अंगूठे लगवाकर लोन लिया है और वह रिकवरी दूसरों से

की जा रही है, जब तक वह पूरी छान–बीन न हो जाए, क्या उस वक्त तक यह हुक्म जारी करने के लिए सरकार तैयार है कि उन आदमियों से रिकवरी न की जाए?

श्री बनारसी दास गुप्तः रिकवरी का काम तो ज्यादा जोर से चलेगा। हम इस बात की जांच कर रहे है। कि गड़बड़ कैसे हुई? बोगस अंगूठे किसने लगाए? पूरी तरह से छानबीन हो रही है। कानूनी तौर पर हमें यह देखना है किस तरह से हमारा केस मजबूत हो सकता है।

चौधरी मनफूल सिंहः मंत्री महोदय को पता होगा कि उखलचना को–आप्रेटिव सोसाइटी का तीन साल से 90 हजार रूपया वसूली का बकाया पड़ा हुआ है, क्या मंत्री जी वि वास दिलाएंगे क वह कब तक वसूल हो जाएगा?

श्री बनारसी दास गुप्तः समय निर्धारित नही किया जा सकता, लेकिन मेरे नोटिस में यह बात है। हम उस सोसाइटी के साथ सख्ती के साथ कार्यवाही करेंगे।

चौधरी पीर चन्दः जैसा कि मंत्री जी कहते है कि वसूली जारी रहेगी तो क्या मंत्री जी उस पैसे को जो गलत वसूल हो जाएंगे उसकों वापिस दिलाएंगे?

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इन को–आप्रेटिव सोसाइटीज में इंडस्ट्रियल को–आप्रेटिव सोसाइटीज कितनी है?

श्री बनारसी दास गुप्तः जवाब में फिग्र्ज दी गई है। 30—6—1969 तक इंडस्ट्रियल को आप्रेटिव सोसाइटीज 2474 और हाज है 30—6—1974 तक 3323.

चौधरी अब्दुल रजाक खांः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जब महकमें के लोगों को एक्यूजी ा न के एख्तियारात है तो लोगों को जीपों में बैठा कर ले जाने और लौक—अप में बन्द करने की क्या जरूरत है?

श्री बनारसी दास गुप्तः अध्यक्ष महोदय, यह खास तौर से सख्ती की बात का जिक्र करते है लेकिन रिकवरी के लिए जो कदम उठाए जाते है या उठाए जा रहे है, उनसे कसी के साथ ज्यादती नही की जाती है, एक्सैस कदम उठाते है जिससे रिकवरी हो जाए।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो रिकवरी करने के लिएपुलिस का स्टाफ जाता है वह लोगों को पकड़ लाता है। उनकों चार—चार रोज तक को—आप्रेटिव सोसइटीज के रैस्ट हाउसिज के अन्दर रखा जाता है, अन ला—फुल डीटै ान की जाती है। क्या इस बात की हिदायत करेंगे कि लोगों को नाजायज तौर पर तंग न कया जाए और कानून को हाथ में न लिया जाए?

श्री बनारसी दास गुप्तः अगर चौधरी दल सिंह जी इस बात की जिम्मेदारी ले कि बिना सख्ती के रिकवरी करवा देगे तो

हम बिल्कुल किसी को भी नही पकड़ेगे। ये उनके गारन्टर बन जाएं। जितना रूपया देते है, यह किसान की सहायता के लिए देते है। वह सारा पैसा रिजर्व बैक आफ इंडिया से मिलता है। अगर बकायदा पैसा वसूल करके वापस नही जाएगा, तो हमें आगे को उनसे पैसा नही मिलेगा। हम किसानों की सहायता नही कर पाएंगे। इसलिए रिकवरी के लिए हमें सख्ती करनी पड़ती है। वह संख्ती मर्यादा के अन्दर की जाती है। कोई एक्सैस वाली बात नही है।

श्री गुलाब सिंह जैनः क्या गवर्नमैंट के नोटिस में यह बात है कि लैण्ड मार्गेज बैक हिसार ने पिछले चार–पांच साल से जो लोन दिया है, वह जिस पर्पज क लिए दिया गया है, उस परपज के लिए इस्तेमाल नही हुआ? अगर यह बात नोटिस में है तो क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उसे बारें में क्या संख्त कदम उठाएंगे।

श्री बनारसी दास गुप्तः किसी वि ोश सोसायटी के सम्बन्ध में बतला नही सकता। अगर सम्मानित सदस्य के नालेज में कोई बात है तो हमें लिख कर भेज दे, हम इन्कवायरी करवा लेगे।

श्री हरि सिंहः जैसा कि मंत्री जी ने फरमाया कि जिस पर्पज के लिए पैसा दिया जाता है, अगर वह उस पर्पज के लिए खर्च न करें तो हमारे अफसर चैकिंग करते है तो क्या उन के

ऊपर कोई और दूसरी एजेसी क्रिएट करने के लिए तैयार है जो उनकों चैकिंग करें?

श्री बनारसी दास गुप्तः जी नही।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय फैमिन एरियाज में जहां हालत बहुत खराब है, उन एरियाज की को–आप्रटिव सोसायटी की रिकवरी मुलतवी करने के लिए तेयार है?

श्री बनारसी दास गुप्तः ऐसा है कि रिजर्व बैक की तरफ से पैसा मिलता है और उनके नियम के अनुसार जिस इलाके में पास परसैन्ट से अधिक खराबा हो और उस इलाके का कलैक्टर यह लिख कर भेज दे तो हम भाार्ट टर्म लोन की मिड–टर्म लोन में कनवर्ट कर देते है।

चौधरी चांद रामः मंत्री जी बतालाएंगे कि ऐग्रीकल्चरल सोसाइटीज आमतौर पर हरिजनों को कर्जा नही दे पाती है तो क्या अलग से हरिजनों की कोई सोसाइटी बनाने की कोि ा ा करेंगे?

श्री बनारसी दास गुप्तः आप किस परपज के लिए बात कर रहे है? जिस उद्दे य के लिए हरिजन सोसाइटियों बनाना चाहे, बनाकर लोन ले सकते है।

चौधरी चांद रामः मेरा मतलब क्रेडिट देने के लिए सोसाइटिया बनाने से है।

श्री बनारसी दास गुप्तः अध्यक्ष महोदय, क्रेडिट हमे ।। किसी काम के लिए दिया जाता है अगर कोई इंडस्ट्रियल या ऐग्रीकल्चरल को–आप्रेटिव सोसाइटी या किसी और किस्म की सोसाइटी बनाएं जो उनकों बड़ी उदारता के साथ ऋण दिया जाएगा।

चौधरी चांद रामः अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो पहले क्रेडिट को–आप्रेटिव सोसाइटियां थी, उनकी जगह उनका नाम बदलकर अब ऐग्रीकल्चरल सोसाइटियां हो गया है। मै ज्यादा इसलिए नही कहूंगा कि वे फिर यह कहेंगे कि लैक्चर देता है। इसलिए क्रेडिट देने के लिए और जो ऐग्रीकल्चरल लेबर है उनकों तिजारत था बिजनैस वगैरह में सहायता देने के लिए कृपा करेंगे?

श्री बनारसी दास गुप्तः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैने बताया है सहकारिता विभाग के नियम सरल किए गए है अगर कोई उनके अुनसार सोसाइटियां बनाएगा तो हम उनकों पूरा ऋण देने की सुविधा देंगे।

Expenditure on Health Services

***1281. Sh. Jagjit Singh Tikka:** Will the Minister for industries be pleased to state—

(a) Per capita expenditure on health services in the year 1968 together with the said expenditure incurred in 1974; and

(b) Per capita expenditure incurred year-wise on medicines during the said period with the percentage increase ordecrease in this expenditure during 1974 as compared to 1968?

गृह एंव स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती भाारदा रानी):

(ए)	1968–69	4 रूपए 60 पैसे
	1974–75	11 रूपए 04 पैसे
(बी)	(i) 1968-69	21 पैसे
	1969-70	29 पैसे
	1970-71	61 पैसे
	1971-72	76 पैसे
	1972-73	79 पैसे
	1973-74	82 पैसे
	1974-75	91 पैसे
(बी) (ii) 333 प्रति ात वृद्धि		

श्री जगजीत सिंह टिक्काः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपार करेंगी कि जो मैडीसन्ज आप देते है, उनमें कोई

एडल्ट्रे ान के केसिज भी पकड़े गए है? अगर पकड़े गए है तो कितने केसिज पकड़े गए है और उनकी प्रोसीक्यू ान के बारें में क्या कार्यवाही हुई है?

श्रीमती भाारदा रानीः जी हां। सन् 1974 के अन्दर 7 केसिज कोर्ट में थे। उनमें से 5 केसिज में सजाएं दी गई है, जिसमें से एक केस में सात साल की सजा भी मिली है।

चौधरी बृज लालः अध्यक्ष महोदय, जो दवाई हास्पिटल्ज में दी जाती है, वह ऐक्चुअली पे ान्ट्स को नही दी जाती और बाजाद में बेच दी जाती है। क्या मुत्री महोदया यह बताने की कृपा करनेगी कि यह बात सच्च है?

श्रीमती भाारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का कोई केस हमारे नोटिस में नही हैै। लेकिन फिर भी ऐसे सम्भावना ही न रहे इसके लिए कई कदम उठाए गए है।

श्री अमर सिंहः मंत्री महोदया ने अपने जवाब में ईयरवाईज पर–कैपिटा ऐक्सपैन्डीचर बताया है और उसमें 1974–75 में यह 91 पैसे बताया गया है क्या यह बात उनके इलम में है। कि किसी हास्पिटल में भी पे ान्ट्स को पूरी मैडीसन्ज नही मिलती और पट्टी तक भी बाजार से लाकर करानी पड़ती है?

श्रीमती भाारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, हम किसी भी हास्पिटल को पूरी मैडीसन्ज दे सकने की स्थिति में नही है, क्योंकि अगर पूरी मैडीसन्ज देने लगे तो जो हमारे पास 85 लाख

का बजट होता है उसकी जगह (पूरी मैडीसन्ज देने के लिए) अढ़ाई करोड़ का बजट चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि एमरजैन्सी वगैरा के लिए कुछ मैडीसन्ज स्टाक में रखते है, कुछ मैडीसन्ज हम माइनर ऐलमैट्स के लिए भी रखते है और इसके अलावा जो कुछ और जरूरी मैडीसन्ज हम माइनर ऐलमैट्स के लिए भी रखते है और कभी–कभी ऐसा भी होता है कि मैडीसन्ज स्टाक में खत्म हो जाती है और कभी–कभी ऐसा भी होता है। कि कुछ मैडीसन्ज बाजार में भी नही मिलती, तब फार दी टाईम बीइन्ग भाौर्टेज हो जाती है। लेकिन यह भाौटेंज हमे ाा के लिए नही मिलती, तब फार दी टाईम बीइन्ग भाौर्टेज हो जाती है। लेकिन यह भाौटेंज हमे ाा के लिए नही रहती। केवल टैम्पोरेरी पीरियड के लिए कभी–कभी ऐसा हो जाता है।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि जो उन्होने पर–कैपिटा लागत बतलाई है, वह सिर्फ मैडीसन्ज की है या इसमें बिल्डिग और स्टाफ वगैरह के सभी खर्चे भाामिल है?

श्रीमती भाारदा रानी: देखिए जी, जो जवाब पार्ट 'ए' में बताया गया है वह तो मैडिकल फैसिलिटीज का पूरा खर्चा है, जैसे सन् 1968 में यह 4 रूपए 60 पैसे और 1974–75 में 11 रूपए 4 पैसे है। पार्ट 'बी' में जो जवाब बताया गया है, वह सिर्फ मैडिसन्ज का खर्चा है।

श्री जगजीत सिंह टिक्काः क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगी कि जो मैडीसन्ज अस्पतालों मे सप्लाई होती है। उनके लिए कोई इस तरह का कदम उठाने जा रहे है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो चीज आर्मी के लिए होती है, उस पर लिखा हाता है, ''फार आर्मी और जो सैम्पल होते है, उन पर लिखा होताहै 'इट इज ओनली फार सैम्पल''? गवर्नमैंट हास्पिटल्ज में जो मैडीसन्ज आप सप्लाई करते है, क्या उसकी हरेक भाी ाी पर ऐसा कुछ लिखने की कोि ा ा की जा रही है कि ''इट इज फार गवर्नमैंट हास्पिटल्ज औनली''?

श्रीमती भाारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, जो मैडीसन्ज आती है, उन पर हम गवर्नमैंट की सील लगाते है। इसके बारें में अभी–अभी एक और इंस्ट्रक ान हमने दी है। कि स्टाक के अन्दर जो भी मैडीसन्ज हों उनकी लिस्ट हास्पिटल्ज में बाहर लगाकर रखी जाए ताकि जो मैडीसन्ज स्टाक में है, वे लोागें को अवेलेबल हों।

चौधरी मनफूल सिंहः क्या मंत्री महोदय यह फरमाने की कृपा करेंगी कि वर्श 1973–74 के अन्दर कितने रूपए की दवाईया प्राइमरी हैल्थ सैन्टर बदली में और सिविल हास्पिटल झज्जर में दी गई है?

श्रीमती भाारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, किसी इंडीविजुअल केस का तो मुझे पता नही, लेकिन में इनकों यह बता दूं कि पहले

पी०एच०सीज० के लिए हमारा 6,000 का बजट होता था लेकिन अब बारह हजारा से भी ऊपर की दवाईया पी०एच०सीज० में पहुंचाई जाती है।

चौधरी राम लाल वधवाः मंत्री महोदया ने जो खर्चा पर–कैपिटा बताया है, वह आबादी के लिहाज से बताया होगा। क्या वे बताएंगे कि पर–पे ौन्ट क्या एवरेज बैठती है?

श्रीमती भाारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, पर–कैपिटा एक्सपैडीचर तो आबादी के हिसाब से ही बताया जाता है। सवाल में पर–कैपिटा पूछा गया था, वही हमने बताया है।

श्री ओम प्रका ा गर्गः क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी, कि जो एडल्ट्रे ान के केसिज पकड़े गए है, वे कहां–कहां के है, कहां–कहां के केसिज में सजा हुई और कहां–कहां के बरी हुए?

श्रीमती भाारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, अभी दो केसिज तो कोर्ट में है। जिनमें सजा हुई है उनमें एक तो भिवानी में है, एक सिवन में, एक हिसार में है, एक आदमपुर में है और एक सिरसा में है। जो सिरसा में है, उसमें सात साल की सजा हुई है।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदया, यह बताने की कृपा करेंगी कि यह हकीकत है कि भाहरों की बजाय देहातों में किसी डिसपैसरी से भी दवाई नही पहुंचती? अगर यह बात सही है तो

रूरल डिस्पैसरियों में या देहाती एरिया की डिस्पैसरियों में दवाईयां भेजने का प्रबन्ध करेंगे?

श्रीमती भारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, यह बात सही नही है कि किसी भी देहाती डिस्पैंसरी में दवाई बिल्कुल ही नही पहुंचती। जो उन्होने ''बिल्कुल ही नही पहुंचती'' वाली बात कही है, यह तो ठीक नही है, लेकिन इसके लिए कि वहां पर और भी दवाइयां पहुंचे, सी०एम०ओज० वगैरह को यह इंस्ट्रक ान्ज दे दी जाएंगी कि वे यह देखे कि वहां पर दवाईयां पहुंचे और इसके लिए ठीक व्यवस्था करें।

श्री अमर सिंहः इसका प्रौसैस क्या है?

श्रीमती भारदा रानीः सी०एम०ओज० के जरिए जाती है।

चौधरी ि ाव राम वर्माः अध्यक्ष महोदय, मत्री महोदया ने जो खर्चा प्रति व्यक्ति 1968 का और 1974–75 का बताया है, उसमें हुई बढ़ौत्तरी के बावजूद जो दवाई 1968 में कम पैसों में ही मिल जाती थी, उतनी ही दवाई आज भी मिल जाती है।

श्रीमती भारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, 1968 में तो भायद इतनी मिलती भी नही होगी और इसके अलावा अब हमारे यहां हास्पिटल भी बढ़ गए है और पे ैन्ट्स की संख्या भी बढ़ी है।

श्री ओम प्रका ा गर्गः क्या मंत्री महोदया, यह बताएंगी कि एडल्ट्रै ान के केसिज की बन्द करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है?

श्रीमती भाारदा रानीः एडल्ट्रे ानके कंसिज को बन्द करने के लिए बहुत से स्टैप्स उठाए गए है। हमने स्टाफ भी बढत्राया है डनहें चैकिग की पावर्ज भी दी है। खासकर अब जो प्रोसीक्यू ान हो रही है। और पहले नही हो रही थी, इसकी का परिणाम है और इस विशय में बहुत सख्त कार्यवाही की जा रही है। चैकिग वगैरा बहुत अच्छी तरह से की जाती है।

चौधरी पीर चन्दः क्या मंत्री महोदया, यह बताने की कृपा करेंगी कि मंहगाई के जमाने को देखते हुए कि दवाईया बहुत महंगी है, जो 91 पैसे खर्च है, इसकों दुगुना–तिगुना करने पर विचार करेगे?

श्रीमती भाारदा रानीः जी नही।

श्री ओम प्रका ा गर्गः क्या मंत्री महोदया, यह फरमाएंगी कि कोई ऐसे एडल्ट्रे ान के कसिज भी है जिनमें सैम्पल ले लिए गए है लेकिन वे सैम्पल अदालत में न जाने की बजाये, बीच में ही पड़े हे? क्या ऐसे केसिज की तहकीकात कराएंगे?

Mr. Speaker: Order Please. It is not a supplementary. Moreover It is ambiguous and not a definite one.

श्री जगजीत सिंह टिक्काः क्या मंत्री महोदया, यह बताने की कृपा करेंगी कि कि जैसे रोज यह पढ़ा जाता है है कि एडल्ट्रे ान की वजह से मौते हो जाती है, सरकार ऐसी कोि ाश करेगी कि इस वजह से जो मौते हो, उनका केस मर्डर की तरह ट्राई हो।

श्रीमती भारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, ऐसा केस लगभग उसी लाईन पर ट्राई होताहै और एक केस में 7 साल की सजा इसलिए मिल है। मै आपकों यह भी बता दूं कि हरियाणा पहली स्टेट थी, जिसने सैन्ट्रल काउंसिल के अन्दर यह सुजैस्ट किया था कि इन केसिज में इस प्रकार से सजा होनी चहिए।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि वर्श 1974 में एडल्ट्रेटिड मैडीसन की वजह से किसी पे ैन्ट की मौत हुई हो, ऐसा कोई केस उनके नोटिस में आया है और अगर आया है तो सरकार ने क्या कदम उठाए है?

श्रीमती भारदा रानीः अध्यक्ष महोदय इस प्रकार का कोई केस हमारे नोटिस में नही है। जो एक क्वै चन इस बारें में पहले पूछा गया था, उसके बारे में मै यह कहना चाहूंगी कि अगर किसी की सब–स्टैडर्ड मैडीसन्ज भी होती है,तो हम उनका लाईसेंस कैंसिल कर देते है अगर किसी की दवाई थोड़ी सी भी

सब–स्टैण्डर्ड पाई जाती है तो भी उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

तारांकित प्र न संख्या 1287

इस समय चूंकि माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नही थे, इसलिए यह प्र न पूछा नही गया।

Non Formal Education Scheme

***1288 Sh. Om Parkash Garg:** Will the Minister for education be pleased to state—

(a) Whether any non-formal education scheme for the benefit of Harijan Children and grils has been started in the state; and

(b) If so, in which areas of the State?

ि ाक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमी प्रसन्नी देवी):

(क) हां।

(ख) यह स्कीम निम्नलिखित चार उपमण्डलों में चलाई जा रही है:–

(1) नरवाना

(2) महेन्द्रगढ़

(3) नारायणगढ़

(4) कैथल

श्री ओम प्रका ा गर्गः क्या मंत्री महोदया, बताने की कृपा करेंगी कि कुरूक्षेत्र या करनाल में यह स्कीम क्यों नही चाल की जा रही है?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः स्पीकर साहब, यह स्कीम अभी भाुरू की गई है और इसका एक्सपैरीमैंट करने के बाद आहिस्ता–आहिस्ता दूसरी जगह बढ़ाएंगे।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि इस नान–फारमल एजुके ान स्कीम के तहत 1974–75 में कितना रूपया खर्च किया गया और कितने बच्चों ने तालीम प्राप्त की?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः स्पीकर साहब, यह कोई अलग से स्कूल लगाने वाली बात नही है। इसके लिए कोई प्राइमरी को पढ़ा सकता है, मैट्रिक पास हो या मिडिल पास हो उस को एजेट मुकरर्र करते है। यह स्कीम चार जिलों में भाुरू की गई है और इसमें साल में दो बार इम्तहान लिया जाएगा। 1 लाख, 17 हजार, दो सौ रूपए इस स्कीम पर खर्च होने की सम्भावना है।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस स्कीम के तहत हरिजन बच्चों को क्या फैसिलटीज दी जाती है और अब तक कितने बच्चो को दी गई है?

ि ाक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक): इस स्कीम के अन्दर ग्यारह साल से तेरह साल के बच्चे पढ़ाए जाते है। छह से ग्यारह साल के बच्चे हमारे हरियाणा के अन्दर 89.4 परसैन्ट है जो स्कूल के अन्दर जाते है और उसमें से 15 परसैन्ट बच्चे ि ाडयूल्ड कास्ट के है। जो ग्यारह साल के बच्चे है उनकी सुविधा के मुताबिक, जो जगह उन्हें पसन्द हो, जो समय उनकों ठीक जंचता हो, उनके लिए एजेंट मुकरर्र किए है और वे उनकों उस जगह पढ़ाएंगे जहां उन बच्चों को सुविधा हो।

चौधरी चांद रामः इस बात के पे ो नजर कि बाल्मीकि बच्चों में तालीम बहुत कम है क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन बाल्मीकि बच्चों को किताब, ड्रैस या जूते वगैरह मुक्त देने पर विचार किया जाएगा?

श्री माडू सिंह मलिकः स्पीकर साहब, यह तो पहले ही प्रोवीजन है।

श्री के०एन० गुलाटीः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि फरीदाबाद मे बाल्मीकि और हरिजन बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसे देखते हुए इस स्कीम को फरीदाबाद में भी चालू करने की कृपा करेंगे?

श्री माडू सिंह मलिकः स्पीकर साहब, अभी यह स्कीम तजुर्बे के तौर पर है। अगर यह कामयाब होगी तो सब जगह खोलेगे।

श्री ओम प्रका ा गर्गः यह जो नान–फारमल स्कीम गवर्नमैंट ने चलाई है और इस गवर्नमैंट से पहले जो गवर्नमैंट थी और जिसमें चौधरी चांद राम मिनिस्टर थे, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन्होने भी इस तरह का कोई कदम उठाया था?

श्री माडू सिंह मलिकः स्पीकर साहब, यह बिल्कुल नई स्कीम है और हिन्दूस्तान में पहली दफा इस स्टेट के अन्दर तजुर्बे के तौर पर भाुरू की गई है।

श्री निहाल सिंहः क्या मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि फारमल एजुके ान और नॉन–फारमल एजुके ान में क्या अन्तर है और फारमल मिनिस्टर कौन है और नॉन–फारमल मिनिस्अर कौन है?–(हंसी)–

(कोई जवाब नही दिया गया।)

श्री जगजीत सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो हमारा प्रैजेन्ट एजूके ान सिस्टम है, उसमें कुछ ऐसा सुधार लाने के बारें में सोचेंगे या सोचा जा रहा है। जिससे कि जो बाबू बनने की प्रवृत्ति बच्चों में बनती जा रही हे, वह खत्म हो और जो बच्चे पढ़कर बाहर आएं, उनमें हाथ से काम करने की प्रवृत्ति बच्चों में बनती जा रही है, वह खत्म हो और जो बच्चे पढ़कर बाहर आएं, उनमें हाथ से काम करने की प्रवृत्ति आए और हाथ से काम करने में वे भार्म महसूस न करें?

श्री माडू सिंह मलिकः स्पीकर साहब, गवर्नमैंट आफ इंडिया एक तालीम की स्कीम 10+2+3 भ्रारू करना चाहती है उसमें दो साल का टैक्नीकल कोर्स होगा। उसके बारें में हमने भी एक कमेटी मुकरर्र की है, जो यह सोचेगी कि किस किस्म का स्टैण्डर्ड दो साल का रखा जाए जिससे बच्चे पढ़ने के बाद भार न रहे।

चौधरी चांद रामः क्या मत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस बात के पे ो जनर कि बाल्मीकि बच्चों में तालीम कम है, उनमें ि ाक्षा के लिए काि ा ा पैदा करने के लिए कि वे स्कूल में आएं और ि ाक्षा प्राप्त करें, महकमें ने क्या प्रौविजन एडाप्ट किया है?

श्री माडू सिंह मलिकः स्पीकर साहब, बच्चों को, चाहे वे बाल्मीकि हो या दूसरे हरिजन हो, मुक्त कापिया और किताबें देते है।

श्री अध्यक्षः इन्होने यह पूछा है कि उनमें कि ा ा पैदा हो, इसके लिए क्या किया है?

श्री माडू सिंह मलिकः जो आलरेडी टीचर है, वह नही होगे, बल्कि हमने एजेंट मुकरर्र किए है और उनकों कहां है कि एक बच्चा पास कराने पर हम इतना पैसा देगे।

श्री अमर सिंहः मंत्री महोदय ने बताया है कि बाल्मीकि बच्चों को ड्रैस और किताब वगैरह प्राइमरी स्कूल तक मुक्त देते

है, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक किसी डिस्ट्रिक्ट में कितना खर्च किया है?

श्री माडू सिंह मलिकः अगर ये अलग से नोटिस दें तो बता दिया जायेगा।

श्री ओम प्रका ा गर्गः मंत्री महोदय ने बताया है कि एजेंट मुकरर्र किए गए है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एक एजेंट को कितने बच्चों के पीछे कितना कुद दिया जाता है?

श्री माडू सिंह मलिकः स्पीकर साहब, पांचसी जमात में जितने बच्चों को वे इम्तहान दिलाएंगे उसके हिसाब से देंगे। अब तक प्राइमरी के एक बच्चे के पीछे एक हजार रूपया हमारा खर्चा आता है और इस स्कीम के तहत कुदकम खर्चा आएगा। जो ग्यारह साल से तेरह साल के बच्चे होगे उनको ंपढ़ने के लिए हम पैसा देगे।

राव बंसी सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एजेंट नियुक्त करने का क्या क्राइटेरिया है?

श्री माडू सिंह मलिकः स्पीकर साहब, जो भी ऐप्लाई करेंगे और लड़कों को पढ़ा देंगे, उनकों नियुक्त कर देगे।

चौधरी चांद रामः क्या मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि नॉन–फारमल एज्के ान स्कीम के तहत चार सैन्टर जो खोले गए है, उनमें कितने बच्चे दाखिल हुए?

श्री माडू सिंह मलिकः स्पीकर साहब, मेरे पास इस वक्त फिगर नही है। अगर नोटिस दे तो बता दिया जाएगा।

श्री ओम प्रका ा गर्गः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एक एजेंट को क्या मिलेगा?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः एक बच्चे को पास कराने पर एजेन्ट को 150 रूपया देंगे।

श्री गिरी ा चन्द्र जो ीः मंत्री महोदय ने बताया है कि जो एप्लाई करेंगे, उनकों एजेंट मुकरर्र कर देंगे। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि अगर कोई एम०एल०ए०, जैसे चौधरी चांद राम, एजेंट बनना चाहे तो उनको एजेट बनाने पर गौर किया जाएगा।

Mr. Speaker: Order please. No reference should be made to any hon. Member.

चौधरी मनफूल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस स्कीम के तहत जो बच्चे पढ़ेगे, वे स्कूल में जा सकेंगे या नही?

श्री माडू सिंह मलिकः स्पीकर साहब यह स्कीम 11 से 13 साल तक के बच्चों के लिए है। अगर कोई बच्चा दो साल के अन्दर स्कूल में न गया हो या दो साल से स्कूल छोड़ गया हो, उनके लिए यह स्कीम है।

श्री ओम प्रका ा गर्गः मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि एजेंट जितने बच्चे पास कराएगा, फी बच्चा 150 रूपया मिलेगा। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाएगा, उसका भी 150 रूपया मिलेगा या नही?

श्री माडू सिंह मलिकः स्पीकर साहब, यह तो इम्तहान पास कराने पर मिलेगा। फेल होने वाली बात नही है। पांचवी के स्टैण्डर्ड के हिसाब से एग्जामिने ान में यह पास करवा देगा तो फी बच्चा 150 रूपया मिल जाएगा।

श्री गुलाब सिंह जैनः मंत्री महोदय ने बताया है कि 10+2+3 की स्कीम के लिए हमने भी एक कमेटी मुकरर्र की है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उसकी कम्पोजी ान क्या है और उसमें नान–आफीि ायल मैम्बर भी है?

श्री माडू सिंह मलिकः स्पीकर साहब, यह एक आफीि ायल कमेटी है और सैक्रेटरी आफ एजुके ान उसका चेयरमैन है।

मलिक सतराम दास बतराः स्पीकर साहब, श्री बनारसी दास जी ने कहा था कि मै मास्टर हूं और मास्टर रहूंगा। क्या

मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंग कि उनकों आप रिंग मास्टर की प्रोमो ान देंगे?–(हंसी)–

(कोई जवाब नही दिया गया।)

श्री अमर सिंहः मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि एजेंट को 150 रूपया फी बच्चा जब वह पास हो जाएगा तो दिया जाएगा। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इम्तहान का प्रोसैस क्या होगा। क्या वे रैगुलर के साथ इम्तहान देगे या नकल करवाकर उनको पास कराया जाएगा?

श्री माडू सिंह सिंह मलिकः स्पीकर साहब, नकल कराकर पास कराने का सवाल नही है। सब–डिवीजनल एजुके ान आफिसर या डी०पी०आई० का नुमांईदा उनका इम्तहान लेगा।

श्री ओम प्रका ा गर्गः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक कितने बच्चे इस स्कीम के तहत पास हो चुके है?

श्री माडू सिंह मलिकः स्पीकर साहब, अभी तो यह स्कीम चालू ही हुई है।

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, जैसा कि अभी एजेकु ान मिनिस्टर साहब ने बताया कि एक बच्चे के ऊपर 150 रूपए खर्चा किया जा रहा हैं क्या इस रकम में बच्चों की वर्दी और किताबों का खर्चा भी भाामिल है?

श्री माडू सिंह मलिकः नही, वह खर्चा इसमें भाामिल नही है।

श्री जगजीत सिंह टिक्काः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने यह बताया कि यह स्कीम 11 से 13 साल के नॉन स्कूल गोइंग बच्चों के लिए है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि कही ऐसा तो नही होगा कि जो स्कूल गोईग बच्चे हे, उनकों छुडा करके इस स्कीम के महत पढ़ाना भाुरू दिया जाए?

श्री माडू सिंह मलिकः स्पीकर साहब, जो बच्चे 9 साल की उमर में स्कूल छोड़ चुके है और जिनको स्कूल छोड़े दो साल हो चुके है और 11 से 13 साल की एज ग्रुप में है वे इस स्कीम के तहत फायदा उठा सकेगे।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, क्या एजुके ान मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेगे कि यह जो नॉन फार्मल एजुकेशन स्कीम के तहत इम्तहान के लिए सैन्टर होगे उनमें उसी प्रकार से पर्चे लिए जाएंगे जैसे कि पांचवी क्लास के बच्चो के इम्तहान में लिए जाते है?

श्री माडू सिंह मलिकः स्पीकर साहब, बिल्कुल सैप्रेट होगे।

श्री ओम प्रका ा गर्गः स्पीकर साहब, जहां इस स्कीम में हरिजन बच्चों को पढ़ाने का प्रोवीजन है क्या वहां पीर चन्द जैसे बूढ़े बच्चों का भी प्रोवीजन हो सकता है?—(हंसी)—

(कोई उत्तर नही दिया गया।)

Cases Filed under the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Act, 1973

***1298 Ch. Peer Chand:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state—

(a) The number of cases filed under the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Act, 1973 in the Court of S.D.O. (Civil), Hissar, Since he has been given the powers of rent controller; and

(b) The number of cases out of those referred to in part (a) above which have been finally disposed of by him so far?

State Minister for cooperation and Local Government (Ch. Goverdhan Dass Chauhan):

(a) 355 (Including 65 cases received by Transfer from the judicial courts).

(b) 113.

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में इस वक्त कुल कितने केसिज रैन्ट कंट्रोल के एस०डी०ओ० (सिविल) के पास पैडिग पड़े हुए है?

चौधरी गोवर्धन दास चौहान: स्पीकर साहब, यहां तो सिर्फ हिसार के एस०डी०ओ० (सिविल) का सवाल नही है।

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि यह जो इतना स्लों काम चल रहा है, इसके क्या कारण है, जबकि जुडि ियरी में ज्यादा काम होता है?

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः स्पीकर साहब, स्लों नही है, काम बड़ा सैटिस्फैक्टरी चल रहा है। इसके इलावा और भी काम चल रहा है।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): क्य मिनिस्टर महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो केसिज एस०डी०ओ० (सिविल) की अदालतों में काफी देर से पैडिग पड़े है और उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है, क्या उनके जल्दी निपआन के लिए सरकार कोई दूसरी सिविल कोर्ट बनाने का विचार रखती है?

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः अभी तो नही।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि रैन्ट कन्ट्रोल वगैरह के केसिज का भीघ्र ही निपटारा करने के लिए सरकार कोई एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट अप्वायंट करने का विचार रखती है। ताकि इन केसिज की डिस्पोजल भीघ्र हो सके?

सिचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): कोई आव कता नही है।

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि हर एस०डी०ओज० के पास बहुत से केसिज पैडिग पड़े हुए है, क्या सरकार इन केसिज को डिस्पोज आफ करने के लिए कोई तीन या छः महीने की टाईम लिमिट मुकरर्र करने का विचार रखती है ताकि पैडिंग केसिज को जल्दी ही निपटाया जा सके।

श्री बनारसी दास गुप्तः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए समय निर्धारित तो नही हो सकता, लेकिन काफी केसिज डिस्पोज आ हो रहे है और काम की प्रोग्रैस सैटिस्फैक्टरी है।

चौधरी पीर चन्दः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो 252 के करीब केसिज बाकी रह गए है, उनका निपटारा कब तक हो जाएगा?

श्री बनारसी दास गुप्तः इसके लिए कोई समय निर्धारित नही किया जा सकता।

Cases of sale of Sugar in black market

***1219. Ch. Dal Singh:** Will the Minister for social Welfare and taxation be pleased to state—

(a) The number of enquiries order by the Government and conducted by the Vigilance Department, Haryana against the sale of sugar in black market in Jind Distrct during the year 1972-73 and 1973-74;

(b) Whether any officer or officers of the Food and Supplies Department

(c) If so, the names and designation of the officers as referred to in part (b) above;

(d) The names of depot holders together with their addresses who were found guilty by the enquiry officer as referred to in part (a) above; and

(e) The action taken or proposed to be taken by the Government against those found guilty as referred to in part (b)

Social Welfare & Taxation Minister (Sh. Shyam Chand):

(a) Three enquiries out of which one is still under investigation.

(b) Yes three employees.

(c) S/Sh. Bansi Dha, Dharam Pal and K.N. Khurana, Inspectors Food & Supples.

(d) (i) Sh. Pala Ram S/o Sh. Panna Ram, Depot Holder, Village Bhambhawa.

(ii) Sh. Ram Jiwan S/o Sh. Dhajja Ram, Depot Holder, Village Assan.

(e) As regards (b) Sarvshri Bansi Dhar and Dharam Pal were suspended on 7th March, 1973 and Sh. K.N. Khurana on 19th December, 1973. These three employees were reinstated on 2nd July, 1974, pending disciplinary proceedings which have been initiated against them under the Civil services (Punishment & Appeal) Rules, 1952.

With regard to (d), the depots of both these depot-holders were cancelled and their securities were also forefeited.

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, इतना लम्बा चौडामेरा सवाल है और मिनिस्टर साहब ने एक मिनट में इसका जवाब भी पढ़ दिया है। स्पीकर साहब, मेरे इस क्वै चन का जवाब अभी पांच मिनट पहले ही मिला है। टाईम की कमी के कारण हम सप्लीमैंट्री नही पूछ सकते। हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। फिर भी मै आपकी मारफत मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि जिन आफिसर्ज के खिलाफ इन्क्वायरी हुई हे, उनक नाम क्या–क्या है, उनकों क्या सजा हुई हौर हुई भी है या कि नही?

श्री भयाम चन्दः स्पीकर साहब, मेने अभी बताया the enquiry is going on and it is likely to be finalised by the end of this month.

श्री अध्यक्षः जवाब के पार्ट 'सी' मै इसका जवाब दिया हुआ है।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बताएंगे जैसा कि उन्होने अपने जवाब में बताया कि तीन केसिज विजिलैन्स डिपार्टमैंट में दिए थे, जिनमें से एक अभी पैडिग हे, यह जो केसिज है, ये सन् 1972–73 के है या कि 1973–74 के है?

श्री भयाम चन्दः ये दोनों ही सालों के है।

श्री फतेह सिंहः अध्यक्ष महोदय, चार–पांच गांव जैसे भौगरा, कुचराना कला, कंडेला, और बैबलपुर, इनमें भीकई ऐसे केसिज हुए हे, क्या उन लोागें के खिलाफ भी कोई ऐक ान लिया गया है?

श्री भयाम चन्दः स्पीकर साहब, कुचराना कलां में जितने एड–हाक एम्पालाईज थे, जिनका कसूर था, उन सब की सर्विस टर्मनिट कर दी गई और बाकियों के खिलाफ केस चल रहे है।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन दो–तीन आफिसर्ज के खिलाफ इन्क्वायरी हो रही है, वह इन्कवायरी कौन कर रहा है और कब तक वह इन्कवायरी कम्पलीट हो जाएगी?

Area of Land under Wheat and Paddy Crops

***1232 Ch. Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) Whether it is a fact that the area of land under paddy crop is decreasing in the state;

(b) If so, the extent of decrease in area of land under paddy crop during 'Sawani' 1974 as compared to the last year;

(c) Whether it is also a fact that the area of land under wheat crop has also decreased during the current 'Rabi Season' as compared to the last year; and

(d) The reasons for the decrease, if any, in the areas of land under paddy and wheat crops ans referred to above?

कृशि मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) ठीक स्थिति यह है कि धान फसल के अधीन क्षेत्र 1973–74 तक बढ़ौतरी पर था। यह क्षेत्र 1966–67 में 1.92 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 1973–74 में 2.92 लाख हैक्टेयर हो गया। परन्तु 1974 में अति सूखा स्थिति के कारण चावल के अधीन क्षेत्र में कमी आई है।

(ख) खरीफ 1973 में 2.92 लाख हैक्टेयर की अपेक्षा खरीफ 1974 में चावल फसल के अधीन क्षेत्र में कमी आई है।

(ग) वर्तमान रबी में गेहूं के सही आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण इस समय ठीक स्थिति बताना सम्भव नही है।

(घ) धान फसल के अधीन क्षेत्र में कमी के मुख्य कारण है:–

1. बीजाई के समय सूखा स्थिति।

2. नहरी पानी की अपर्याप्त पूर्ति।

3. नलकूपों को चलाने हेतु विद्युत की कमी।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब यह बताने का कश्ट करेंगे कि इन्होंने जो कमी होने के कारण

बताए हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार जल्द से जल्द क्या कदम उठा रही है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जैस कि कल भी मैंने बताया था कि पिछले साल बरसात कम होने की वजह से डैम में और नहरों में पानी की काफी कमी रही है। इसलिए हमारी सोईंग के ऊपर भी काफी असर पडत्रा है। जब डैम में पानी कम होगा, तो बिजली का उत्पादन भी कम होगा। बिर्जी की कमी होगी, तो पैदावार पर भी फर्क पड़ेगा। लेकिन यह कहना कि पैदावार बहुत कम रही है, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए गुप्ता जी ने भी बताया कि किसानों को बिजली और पानी देने की सरकार लगातार कोि ा ा कर रही है कि किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो।

चौधरी ि ाव राम वर्माः क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि इस कमी का सबसे बड़ा कारण किसान को गेहूं और पैडी के उचित भाव न मिलना है ? इसलिए लोगों का ध्यान दूसरी फसलों की का त (बिजाई) की तरफ चला गया है।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, ऐसी बात नहीं है। पैडी का भाव भारत सरकार ने 74 रूपए क्विंटल स्पोट्ट प्राईस फिक्स किया है और मैं समझता हूं कि किसान को इससे पूरी तसल्ली है, क्योंकि इसके साथ साथ मैं आपको यह ीाी बता देता हूं कि यह भाव 85 व 90 रूपए तक भी गया है।

Sh. Shyam Chand: Sir, I would like to add something. As the Hon. Members know the support price of wheat was fixed at Rs.105 per quintal but the wheat was selling in Haryana @Rs. 135/- to Rs. 140/-. Likewise, the support price of paddy was fixed at Rs. 73/- by the Union Government but the farmers of Haryana were getting from Rs. 90 to 92/-. And I canj say the farmers of Haryana are in bette position in this respect as compared to the farmers of other States.

नियम 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उतर

Revenue Received from the Electricity Consumers

***1264. Ch. Prabhu Ram:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) the revenue received by the State from the Electricity consumers during the year 1968 togetherwith the percentage of the increase in such revenue during the year 1974 as compared to 1968; and

(b) the percentage of the increase in the capital profit of the Haryana State Electrictiy Board during the period as referred to in part (a) above?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता):

(क) राज्य सरकार बिजली उपभोक्ताओं से इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी के रूप में राजस्व प्राप्त करती है। इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी से प्राप्त हुई रा ि ा का ब्यौरा इस प्रकार हैः—

1967—68	90 लाख
1973—74	257 लाख
प्रति ात बढ़ौतरी	185 लाख

(ख) पूंजीगत लाभ का प्र न ही नहीं उठता क्योंकि बोर्ड कोई स्थिर परिसम्पतियों की बिक्री नहीं करता।

Tourist Spots

***1274. Dewan Hans Raj Suri:** Will the Minister for Home be pleased to state:-

(a) the total amount spent on the development of tourist spots in the State during the last five year togetherwith the total number of tourist spots developed with the said amount;

(b) the income accrued to the State Government from the said tourist spots druing the last five years;

(c) the expenditure incurred by the Government on the development of Pinjore Gardens every yea during the last five year and whether there is any scheme under

considertation of the Government for its future development; and

(d) if so, the date from which it is likely to be implemented?

गृह मंत्री (श्री के.एल. पोसवाल):

(क) रूपए 217.75 लाख (1969–74) तथा 27 पर्यटक स्थलों का विकास किया गया,

(ख) रूपए 861424.96 (केवल वर्श 1972–73 तथा 1973–74 में)

(ग) (1) 1969–70 रू. 0.69 लाख

1970–71 रू. 4.31 लाख

1971–72 रू. 15.48 लाख

1972–73 रू. 4.85 लाख

1973–74 रू. 5.04 लाख

कुल जोड़ 30.37 लाख

(2) हां।

(घ) जापानी बाग पर कार्य पहले ही आरम्भ किया जा चुका है। अतिरिक्त क्षेत्र में प्लांटे ान तथा लैण्डस्केपिंग अगले दो महीनों में आरम्भ कर दी जाएगी।

एक मोटल/पर्यटक हट्स के निर्माण पर कार्य अगले वितीय वर्श 1975–76 में आरम्भ किए जाएंगे।

Industries in the State

***1282. Sh. Jagjit Singh Tikka:** Will the Minister for Industries be pleased to state:-

(a) the number of licences and letter of intent issued year-wise, by the Central Government during the last two year for the establishment of industries in Haryana; and

(b) the number of letter of intent and licences recevied year-wise during the period from 1968-69 to 1973-74 togetherwith the names of industries set up or proposed to be set up in the State thereunder?

उद्योग मंत्री (श्री हरपाल सिंह): (क तथा ख) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

STATEMENT

(a)		
Year	Licences issued	Letters of intent issued
1972-73	39	80
1973-74	36	74

(b)		
1968-69	7	4
1969-70	7	19
1970-71	31	78
1971-72	29	123
1972-73	39	80
1973-74	36	74

These relate to Packaging, vanaspati ghee, condensed milk steel ingots and billets, mild and carbon steel billets, alloy steel castings, stamping brewery, televsion, dehydrated vegetables, tractors glazed tiles, steel pipes, synthetic detergents tannery, radios/trainsistors etc. industries.

In-Service Training Programme

***1289. Sh. Om Parkash Garg:** Will the Minister for Education be pleased to state:-

(a) whether any in-service training programme for J.B.T. Teachers has been started in the State; and

(b) if so, the number of J.B.T. teachers covered so far under the said programme?

ि ाक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक):

(ए) जी हां।

(बी) लगभग 9000.

अतारांकित प्र न एवं उतर

Allotment of Agricultural Land to Harijans

376. Ch. Mehar Chand: Will the Minister for Revenue be pleased to state the following information relating to the allotment of agricultural land to Harijans and other poor sections of the society since Independence:-

Name and parcentage of allottee	Village	District	Area allotted (acreage)	Area in Actural possession (acreage)

राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल भार्मा): सूचना एकत्रित करने में जो समय तथा परिश्रम लगेगा, उससे वि ोश लाभ न होगा।

Teachers Welfare Fund

377. Sh. Om Parkash Garg: Will the Minister for Education be pleased to state:-

(a) The total amount collected by the Education Department for the Teachers Welfare Fund during the years 1970-71 to 1974-75 (year-wise);

(b) the various conditions under which financial assistance out of said fund id given the maximum limit; if any, fixed;

(c) the number of beneficiaries and the amount spent on them during the years 1970-71 to 1974-75(year-wise); and

(d) the proposal, if any under consideration of the Department to extend the scope of this assistance and if so, its salient features ?

ि ाक्षा मंत्री (श्री माड़ू सिंह मलिक):

(ए) वर्श	एकत्रित धान रूपए पैसे
1970–71	207393.87
1971–72	212709.15
1972–73	133020.49
1973–74	121,477.50
1974–75 (06–1–75 तक)	329714.17

(बी) इस प्रतिधन द्वारा एकत्रित धन विपदाग्रस्त ि ाक्षको/मृतक ि ाक्षको के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के लिए उपयोग में लाया जाता है :–

(i) आर्थिक सहायता निम्नलिखित भार्तो पर आधारित है:–

(1) जीवित अध्यापक को यदि वह स्थाई रूप से या अनि ि चत काल के लिए नौकरी या अन्य कार्य करने के लिए असमर्थ हो गया हो।

(2) अध्यापक के परिवार के सभी स्त्रोतो से होने वाली आय 6000 प्रति वर्श से अधिक न हो । किन्तु यह यह सीमा उन अध्यापको की सहायता की पात्रता के लिए लागू नहीं होगी जो परीक्षाओ के आयोजन के दौरान घातक चोटो से ग्रस्त हुए हो।

(3) परिवार में कोई व्यस्क सदस्य न हो, जो परिवार का भरण पोशण करने में असमर्थ हो।

(4) कार्यकारी समिति के विवेकानुसार किसी अन्य अध्यापक अथवा उसके आश्रित व्यक्ति का कोई ऐसा कठिन तथा वि ि ाश्ट मामला जो कि उपर्युक्त खण्ड (i) और (iii) तक के अन्तर्गत न आता हो।

(ii) आर्थिक सहायता के लिए अधिकतम निर्धारित सीमा निम्न प्रकार से है:–

(1) अध्यापक की मृत्यु के समय तदर्थ आधार पर 1000 रूपए की सहायता ।

(2) विपदाग्रस्त अध्यापक या उसके आश्रितो को एक वर्श के लिए 100 रूपये तक मासिक सहायता या समुचित रूप में 1500 रूपए।

(3) अध्यापको के सुयोग्य बच्चों के लिए मैट्रिक उपरान्त अध्ययन हेतू 25 रूपए से 75 रूपए तक मासिक छात्रवृति ।

(4) मृतक अध्यापक की पुत्री के विवाह के समय 1500 रूपए की सहायता ।

(5) सेवा काल में वि ोश रूप से सराहनीय कार्य करने वाले ि ाक्षको को सेवा निवृति के प चात 1000 रूपये ऐ 2500 रूपए तक तदर्थ रूप में अनुदान।

(सी)

वर्श	लाभ प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	रा ि ा रू0 पै0
1970—71	25	13190.00
1971—72	48	31140.00

1972–73	76	26480.00
छात्रवृतियां	12	4800.00
1973–74	89	38032.51
छात्रवृतियां	15	6600.00
1974–75(6.1.75 तक)	94	45784.62
(अम्बाला में टीचर होम की स्थापना/देखभाल तथा फर्नीचर इत्यादि देना)		7290.50

(डी) निम्नलिखित प्रस्ताव विचाराधीन है:–

(1) ऐसे जे.बी.टी. ि ाक्षक जिनका सेवा रिकार्ड अच्छा हो, यदि वे बी.ए. पास करने के प चात बी.एड. का प्रि ाक्षण लेना चाहे, तो उन्हे 500 रूपए का स्टाइपैन्ड दिया जाए।

(2) राज्यकारी समिति ने दिनांक 18.9.1974 को हुई बैठक में यह अनुमोदित किया कि अध्यापक कल्याण कोश के लिए एकत्रित रा ि ा में से पांच लाख रूपए का ट्रस्ट बनाया गया है उस पर जो

ब्याज मिलता है उसमें से ऐसे ि ाक्षको (जिनकी वार्शिक आमदनी 6000 रूपये हो) के बच्चो को मैट्रिक उपरान्त (सामान्य तथा व्यवसायिक जिसमें तकनीकी ि ाक्षा तथा डाक्टरी ि ाक्षा भी भाामिल हो) मैरिट छात्रवृतियां प्रदान की जाएं।

(3) उपरोक्त खण्ड (2) के अतिरिक्त यह प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया कि मृतक तथा विपदाग्रस्त जे.बी.टी./जे.टी. ि ाक्षको के बच्चो को, जो कि भिन्न–भिन्न स्तरो पर ि ाक्षा ग्रहण करना चाहते हों, को स्टाई पैन्ड छात्रवृतियां दी जाएं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निरूपण

चोधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब मैने एक एडजर्नमैंट मो ान था कि कम्पट्रोलर और आडिटर जनरल की रिर्पोट जो इलैक्ट्रिसीटी बोर्ड के बारे में हैं, उसे डिस्कस किया जाए। लेकिन हाउस में आज साईने डाई का मो ान आ गया है । इस सम्बन्ध में मैने पहले भी मो ान दी थी। मगर यह सरकार उस रिर्पोट को डिस्कस नहीं करवाना चाहती अगर सरकार जो जरा भी जमूहरी रियायतो का आदर है तो इसे अस्तीफा दे देना चाहिए। –(ाोर)– इससे बड़ा प्रमाण सरकार को और क्या चाहिए ?

मुख्यमंत्री(चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि यह जो कम्पट्रोलर एंड आडिटर जनरल की वर्श 1972–73 की रिपोर्ट है, यह अकेले इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की

नहीं, बल्कि सब डिपार्टमैंट्स की है, जिसमें इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की नहीं, बल्कि सब डिपार्टमैंट्स की है, जिसमें इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी डील किया गया है और जो स्पे ाल आडिट करवाया था, वह भी डील कर दिया गया है और इसकी कापी पब्लिक एकाउंट्स कमेटी को चली गई है। डेमोक्रेसी के इतिहास में आज तक अकाउंटस कमेटी को चली गई है। डैमोक्रेसी के इतिहास में आज तक एकाउंट जनरल की कोई रिपोर्ट सदन में डिस्कस नहीं हुई। पब्लिक एकांट्स कमेटी इसे एग्जामिन करेंगी । मै आपके द्वारा पब्लिक एकाउंट्स कमेटी से प्रार्थना करूंगा कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के काम में किसी चीज की खरीद में या परचेज में अगर किसी आदमी को कोई कसूर होगा, तो सरकार उसे माफ नहीं करेगी, सजा देगी–(तालियां)–

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, हाउस सुप्रीम है पब्लिक एकाउंट्स कमेटी से। रूल्ज में भी कोई प्रोवीजन नहीं कि यह जरूरी पी.ए.सी. के पास जाए।

Mr. Speaker: Order please.(Interruption) you have taken your turn. Don't try to speak twice or thrice on the same subject. You must have received the decision also. It is a legal question. This Report is presented to the House under Article 151 of of the Constitution.

चौधरी राम लाल वधवाः वह तो टेबल पर रखने का है।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब जब बोलने खड़े होते है, तो तुम कौन होते हो बोलने वाले ?

Mr. Speaker: Order please. In clause (2) of this article, it is laid down that-

"The reports of the Comptroller and Auditor General of India relating to the accounts of a State shall be submitted to the Governor of the State who shall cause them to be laid before the legislature of the State."

This report has been laid. Now it has become the property of the House. Had it not been sent to the P.A.C. or had no P.A.C. been constituted, then the question would have certainly arisen as to how or in which form we would like to have discussion on it. As the P.A.C. is already there, this report automatically stands referred to the P.A.C.

Now I will invite the attention of the hon. Member to page 126 of "Practice & Procedure of Parliament" by Kaul and Shakdher, wherein it is written-

"The reports of the Comptroller and Auditor-General relating to the accounts of the Union are submitted to the President, who case of States, he submits his reports to the Governor of the State, who casuses them to be laid before the legislature of the State.

The audit reports of the Comptroller and Auditor General stand automatically referred to the Committee on Public Accounts. These form the basis of investigation by the committee which submits its reports thereon to Parliament.

In case the House wants to have any information from the Comptroller and Auditor-General, it can do so through the public Accounts Committee. But in case a Committee has not been constituted, it is for the Speaker to decide as to what should be done in the matter, provided member give a notice for raising a discussion in one form or the other"

Since there is committee constitute in this House, it is automatically stands referred to that Committee as already observed. (thumping from the Treasury Benches)

कार्य मंत्रणा समिति का सातवाँ प्रतिवेदन

Mr. Speaker: I have report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various items of business.

"The Committee, after some discussion, recommended that the business on the 17th January, 1975, be transacted as follows:-

17th January,1975 at 9.30 A.M.

1 Question Hour.

2 Seventh Report of the Business Advisory Committee.

3 Motion Under Rule 15 regarding Non-stop sitting.

4 Motion Under Rule 16 regarding adjorunment of the Sabha Sine-die.

5 Presentation of Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

6 Legislative Busnines

(1) The Haryana Appropriation Bill, 1975, in respect of Excess Demands over Grants for the year 1969-70.

(2) The Haryana Appropriation (No.3) Bill, 1975, in respect of Supplementary Estimates(Third Instalment)1974-75.

(3) The Haryana Requisitioning and Acquisition of Movable Property Bill, 1975.

(4) The Haryana Development and Regulation of Urban Areas Bill, 1975.

State Minister for Co-operation and Local Government(Chaudhri Goverdhan Dass Chauhan): Sir, I beg to move-

That this House agrees with the recommendation contained in the Seventh Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Question is-

that this house agrees with the recommendations contained in the Seventh Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Finance Minister (Shri Ram Saran Chand Mittal): Sir, I beg to move-

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions on the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions on the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker: Question is-

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly", indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Finance Minister (Shri Ram Saran Chand Mittal): Sir, I beg to move-

That the assembly at its rising this day shall stand adjourned Sine-die.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned Sine-die.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, कल परसो तक यह बात थी कि हाउस 22 ताारीख तक चलेगा और आज आचानक यह मूव आ गई कि हाउस उठ जाएगा, इसका कारण हम जानना चाहते है।

मुख्यमंत्री(चोधरी बंसी लाल): यह तो चौधरी दल सिंह से पूछ लो, हमारे से न पूछो ।

चौधरी चांद रामः चौधरी दल सिंह भी आप जैसे मैंबर है।

चोधरी बंसी लालः चौधरी दल सिंह भी मैंबर है, अब मै भी मैंबर हूं और चौधरी चांद राम भी मैंबर है । चौधरी दल सिंह ने बार बार यह कहा कि हाउस जल्दी खत्म करो, हम तो और बढाना चाहते थे, लेकिन चौधरी दल सिंह का सुझाव था कि जल्दी खत्म करो। इसलिए मै कह रहा हूं कि आप चौधरी दल सिंह से पूछ लो।

चौधरी दल सिंहः वह मेरा पर्सनल मामला था, मैने इसलिए कहा था।

चोधरी बंसी लालः आपका पर्सनल था, इसलिए आपकी मान ली।– हंसी–

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब हमारे जो सै ान है; वे बहुत ब्रीफ होते रहे हैं। बहुत से ऐसे सबजैक्ट होते हैं जिन पर डिस्क ान करनी है जैसे यह कम्पट्रोलर और आडिटर जनरल की रिपोर्ट है।

Mr. Speaker: Order please. No discussion about that.

चौधरी चांद रामः इसके अलावा और भी कई रिपोर्ट है, जैसे ि ाडियूल्ड कास्ट एंड ि ाडियूल्ड ट्राइब्ज के वैलफेयर के लिए कमेटी की रिपोर्ट है, वह डिस्कस होती और भी कई मामले है।

चोधरी बंसी लालः आप अपने आपको सीजण्ड पार्लियामैंटेरियन क्यों कहते हैं ? आज से न कहा करो।–(हंसी)–

चोधरी चांद रामः तो मै क्या कहा करूं ?

चोधरी बंसी लालः आप सीखदड़ कहा करे।–(हंसी)–

सिचाई तथा बिजली मंत्री(श्री बनारसी दास गुप्त): सीखदड़ भी कहा करो।

चौधरी चांद रामः ठीक है । लेकिन बात यह है जब मैं बोलता हूं, तो इनको चुटकी सी भर जाती है।

Chaudhri Bansi Lal: You should feel happy about it.

चौधरी चांद रामः इनको कंचफली लिपट जाती है । तो मै यह कह रहा था कि आज आचानक यह साईने–डाई का मो ान आ गया, जब कि सुना यह जाता था कि 22 तारीख तक गवर्नमैंट बिजनैस किएट करेगी।

चौधरी बंसी लालः हम तो ज्यादा से ज्यादा बिजनैस किएट कर चुके है। जब हमारे पास बिजनैस नहीं है तो कहां से लाएं ? किएट करने के मायने यह नहीं है कि क्वै चन आवर करे, और असैम्बली खत्म हो जाए। It does not mean that.

श्री बनारसी दास गुप्तः स्पीकर साहब, आप बिजनैस एडवाइजरी कमेटी को प्रिजाइड कर रहे थे। आप जानते है कि किसी ने इस बारे में यह नहीं कहा कि 17 के बाद हाउस बसटैंड किया जाए–(विध्न)

Mr. Speaker: Order please.

चौधरी राम लाल वधवाः मै अर्ज करना चाहता हूं कि मैने पहले चार रिर्पोटस आई अुई है उनके बारे में डिस्क ान का नोटिस दिया हुआ है, जो काम बाकी है, वह डिस्कस होना चाहिए। सरकार भागना क्यों चाहती है–(ाोर व विध्न)–

Mr. Speaker: Order please.

चौधरी राम लाल वधवाः मेरी प्रार्थना है कि चार रिपोर्ट्स के बारे में मैने मो ान्ज दी हुई है वे अडमिट हुई है, सरकुलेट हुई है, बाकायदा या तो वह बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के सामने रखी नहीं गई, नोटिस में लाई नही गई या फिर सरकार इन्हे डिस्कस नहीं करना चाहती।

Mr. Speaker: No please.....

चौधरी राम लाल वधवाः मेरी अर्ज है कि हाउस को साईने–डाई एडजर्न न किया जाये और इन रिपोर्टस को डिस्कस किया जाए, हर बार यही होता है । सरकार रिपोर्टस को टेबल पर रख देती है, परन्तु उन्हे डिस्कस नहीं करती –(ाोर व विध्न)–

Mr. Speaker: Please see. This was the unanimous decision of the Committee and this has been adopted by the House. Now this has become the order of the House. जहां तक आपकी मो ान्ज का ताल्लुक है, वह बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के सामने आ चुकी लेकिन उनकी डिस्क ान के लिए टाईम अभी नहीं मिला ।

बहिर्गमन

चौधरी राम लाल वधवाः तो स्पीकर साहब मै वाक आउट करता हूं। (इस समय चौधरी राम लाल वधवा वाक आउट कर गए)

मुख्यमंत्री(चौधरी बंसी लाल): यह देखना थोड़ी देर में वापिस तो नहीं आ जाएगा–(हंसी व भाोर)–

श्री के.एन.गुलाटी: स्पीकर साहब, हम विधायक यह चाहते हैं कि जितनी जल्दी सै ान खत्म हो, कर दिया जाए, क्योंकि हम तो अपने–अपने हल्को में जाना चाहते हैं तांकि उनके सुख दुख को देखे। इनका तो अपने हल्के की परवाह ही नहीं है। –(ाोर व विध्न)–

चौधरी बंसी लाल: यह राम लाल जी तो खुद कहते थे कि मेरी लड़की की भाादी कल या परसो, इसलिए जल्दी खत्म कर दो–(हंसी)–यह खुद कह रहे थे कि मेरी लड़की की भाादी है, जल्दी खत्म करो ।

चोधरी दल सिंह: बिजनैस एडवाइजरी कमेटी का डिसीजन यूनैनीमस ही होता है, लेकिन भावना सरकार की भी यही थी कि जल्दी खत्म करो, हम ने तो इनकी हां में हां मिलाई है कि जल्दी खत्म करो–(ाोर और विध्न)–

श्री अध्यक्ष: बात चौधरी दल सिंह से भाुरू हुई है लेकिन डिसीजन सारी कमेटी का है।

चौधरी दल सिंह: मेरी गुजारि ा है कि जितनी रिर्पोटस आई है और टेबल पर ले की गई है अगले सै ान मे फरमा दो कि डिस्कस हो जाएगीं। बात तो सिर्फ इतनी है। अब.....
..

Mr. Speaker: No discussion about it please.

चौधरी बंसी लालः अगले सै ान की बात अगले सै ान में आएगी–(विध्न)मेरी तो स्पीकर साहब, चौधरी दल सिह के बारे में यह ओपिनियन थी कि वह गलत बात नहीं कहते लेकिन आज के बाद मेरी यह राय उनके बारे में बदल गई है क्योंकि इन्होने कहा कि गर्वमैंट की इच्छा थी कि जल्दी खत्म कर दो,लेकिन he inssted on it. मैने कहा भी कि 20/21 तक जाए। जो आज के बाद मेरी तो कम से कम राय बदल गई है कि चौधरी दल सिंह जी सच बोलते है–(विध्न)

Mr. Speaker: Order please. No discussion. Order please (Interruptions).

चौधरी ि ाव राम वर्माः कल यह बात हुई थी कि अगले सै ान में आज जाएंगी–(ाोर)–

चौधरी बंसी लालः यह हमारी मर्जी में आएगा जो डिस्कस करेंगे वरना नहीं करेंगे। हमारी मैजोरिटी है–(ाोर व विध्न)–

चौधरी ि ाव राम वर्माः मेरा सुझाव था कि इसी सै ान में यह रिपोर्टस डिस्कस जो जाएं लेकिन कहा गया कि मैम्बर पढ़ लेंगे फिर अगले से ान में आ जाएगी, जल्दी....

चौधरी बंसी लालः यह हम ने किसी ने नहीं कहां कि अगले सै ान में आ जाएगी। यह गलत बात कही जा रही है। इसके बारे में कोई कुमिटमैंट नहीं की गई–(भाोर और विध्न)–

श्री अध्यक्षः देखिए, बिजनैस एडवाईजरी कमेटी में जो कुछ होता है, उसको हाउस में नहीं लाना चाहिए और...

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, यह गलत कह रहे है। हमने कभी नहीं कहा कि अगले सै ान में डिस्कस होगीं या नहीं होगी। यह गलत बात कह रहे है।–(ाोर)

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज। अगले सै ान के एजेंडा का फैसला तो अगले सै ान में होगा, जब वह आएगा और उस वक्त जो बिजनैस आएगा, उसके बारे में डिसीजन उस वक्त बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में होगा।

चौधरी ि ाव राम वर्माः तो फिर लारा क्यों दिया गया ?–(भाोर और विध्न)–

चौधरी दल सिंहः मेरी ख्वाहि ा तो 17 से पहले की थी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि गलतब्यानी की। मैने कोई गलतब्यानी नहीं की और –(भाोर और विध्न)–

Mr. Speaker: Question is

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned Sine-die.

The motion was carried.

अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित आदिम जातियो के कल्याण सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन पे ा करना ।

Chairman, Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes(Shri Nihal Singh): Sir I beg to present the First Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

दी हरियाणा एप्रोप्रिए ान बिल, 1975

Finance Minister(Shri Ram saran Chand Mittal): Sir I beg to introduce the Haryana Appropriation Bill, 1975.

I also beg to move-

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill Clause by Clause.

Clauses 2 and 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enancting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister(Shri Ram Saran Chand Mital): Sir, I beg to move-

That the Haryana Appropriation Bill, be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation Bill, be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation Bill, be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं03) बिल, 1975

Finance Minister(Shri Ram Saran Chand Mital): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation(No.3)Bill, 1975.

I also to move-

That the Haryana Appropriation(No.3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation(No.3) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी चांद राम(बबैन–एस.सी): स्पीकर साहब, कल मेरे एक साथी, जिनको अगर यह कहूं कि चौधरी बंसी लाल जी के नौ रत्नो में से एक है, तो.....

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। आप बिल के स्कोप से बाहर न जाएं। within the scope of the Bill बात करें।

चौधरी चांद राम: मैं इस बिल के बारे में ही बात कर रहा हूं कि आप सुन तो ले। कल उन्होने एक बात की थी।....

Mr. Speaker: No please. Not at all.

चौधरी चांद रामः मैं तो यही कह रहा था कि कल.....

श्री अध्यक्षः अगर आप कल की बात पर बोलना चाहते है तो कल अगर हाउस मे उस वक्त हाजिर थे, तो आज उस पर नहीं बोल सकते। कल उनके बाद आप पर्सनल एक्सप्लेने ान दे सकते थे।

चौधरी चांद रामः मै और कुछ नहीं कह रहा हूं , यही कह रहा हूं कि वह इस मिनिस्टर में जो नौ रत्न है, उनमें से एक है ओर.....

Mr. Speaker: Chaudhri Sahib, you are very old parliamentarian. try to confine yourself to the Bill before the House.

चौधरी चांद रामः मै और कुछ नहीं कह रहा हूं, इसको कहने दो। मै क्या कह रहा हूं, कहने से पहले आप कैसे कह सकते हैं कि मै क्या कह रहा हूं। अगर कोई गलत बात कहूं और आप को न जंचे तो एक्सपंज कर दे ।

श्री अध्यक्षः कल प्राइवेट मैम्बर्ज–डे था और प्राइवेट रैजाल्यू ान पर डिस्क ान हो रही थी। उसका आज की डिस्क ान के साथ ताल्लुक बनता नहीं।

चौधरी चांद रामः इन्होने एक बात कही थी, ऐग्रीकल्चर के बारे में। खेती के बारे में और बहुत से मामलो में.....

मुख्यमंत्री (चौधरी बंसी लाल): यह हाउस में मौजूद थे। ये अन्दर (लोबी) गए थे ओर इनको यहां पा ले आया था, इसके बाद लगातार यहां बैठाा रखा था, इसलिए कल की बात के बारे में आज कैसे कह सकते हैं ?

चौधरी चांद रामः उन बातो के बारे में न सही। मै तो सिर्फ यह कह रहा था कि हम तो बोलते तो कुछ है उनका जवाब कुछ दिया जाता है। इस हाउस में बालते कुछ है और जवाब कुछ दिया जाता है। मैं यह प्रार्थना करूंगा.....

चौधरी बंसी लालः सीधी भाशा बोला करो, ऐसा क्यों बोले जो हमारी समझ में न आए.....

चौधरी चांद रामः अच्छा, अब मुझे आपसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैं यह कह रहा था कि हमारे सामने सप्लीमैंट्री डिमांडज का विनियोग बिल है और उसमें 21 करोड़ के करीब या इससे कुछ ज्यादा की रकम मांगी गई है। अब इसके इस्तेमाल का सवाल है इसमें बहुत सी मदे है। यह तीसर इंस्टालमैंट हमारे सामने हैं। यह साल के अन्दर तीसरी इंस्टालमैंट है। यह तरीका अच्छा नहीं है कि एक ही साल के अन्दर तीन तीन इंस्टालमैंट लाए। जहां तक बजट का सवाल है अभी मार्च का महीना बाकी है, फरवरी का महीना बाकी है, इतनी जल्दी बजट पास करने की क्या जरूरत है ? बजट सै ान तो फरवरी में हुआ करता था लेकिन इस साल जनवरी में हो गया। भाायद यह इस बात का सबूत है है कि

विधानसभा और पार्लियामैंट के चुनाव मई में आ जाएं। किसी अखबार में इस बात का संकेत है कि मई में चुनाव हो रहे है। हमारी जनसध पार्टी ने एक प्रस्ताव भी पास किया कि सन् 1972 के जो इलैक्टोरल रोल्ज है, उनको धर धर मे जाकर री–वैलिडेट किया जा रहा है, नई नहीं बनाई जा रही। इस बात के लिए रूपया भी मांगा गया है। एक तरफ तो यह कहते है कि इतना रूपया सरंडर किया जाता है और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि इतना रूपया और मांगा गया है। ये सब बाते इस चीज के लिए है । बजट का धाटा होने के बावजूद भी कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, यह इस बात का सबूत है। इस बात की तरफ इ ाारा करता है कि इस स्टेट में या हमारी लोकसभा का, पार्लियामैंट का चुनाव हो रहा है ।

चौधरी बंसी लालः इलैक्टोरेटस से डरने की क्या बात है ?.....

चौधरी चांद रामः मै तो यह नहीं कहता। मै तो यह कहता हूं कि जो रोल्ज बनाए जाएं वे ठीक बनने चाहिए, धर पर जाकर बनाने चाहिएं। लोगो को पूरा मौका मिलना चाहिए।

चौधरी बंसी लालः कहीं ि ाकायत हो तो बता दें ठीक करवा देंगे।

चौधरी चांद रामः जो उस पार्टी ने रैजोल्यू ान पास किया है, वह आपको नजरो से गुजरा होगा।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, इलैक्टोरल रोल्ज की रिवीजन का फायदा यह है कि सैसिंज के बाद एक बार तो धर धर जाकर बनाया जाता है और दोबारा उसको हर साल पहली जनवरी से भुरू कर देते है और उसे वैसे ही कैजुअली ठीक करते है, धर धर जाकर दोबारा नहीं जाया जाता ।

चौधरी चांद रामः ऐसा सिस्टम रखिए कि जो बुनियादी हकूक है, फण्डामैंटल राईट्स इनके ऊपर डैमोक्रेसी के आधार है, इसमें किसी प्रकार की किसी पार्टी या किसी वर्ग को, व्यक्ति को ि ाकायत नहीं होनी चाहिए।

चौधरी बंसी लालः उसकी एक एक या दो दो कापीज तहसीलदार, इलैक् ान के आफिस में मौजूद होती है, कोई भी उसकी इंस्पैक् ान कर सकता है।

चौधरी चांद रामः यह तो तरीका है वह एतराज कर लेंगे, लेकिन मै समझता हूं और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बात की पूरी जांच करेगी।

चौधरी बंसी लालः चौधरी साहब ने कहा है कि वो अपना एतराज कर लेगें तो क्या इनका वोट मै बनवाऊं जा करके ?–(हंसी)–

चौधरी चांद रामः मेरा भी नाम कटवा रखा है क्या ?–(व्यवधान)–

श्री अध्यक्षः हमें मुि कल यह है कि हमे दोनो का ही पता नहीं लगता कि यहां कुछ कहते है और लोबी मे जाकर दोनो इकट्ठे बैठकर गप्प् मारते हैं –(हंसी)– हाउस में फिर गर्मागर्मी की जरूरत क्या है ?

चौधरी चांद रामः अगर यह डमोक्रेसी यही होती कि बाहर जाकर जो बाते होती है, वहीं बाते यहां न की जाएं, तो फिर हाउस की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हाउस में कोई बात आएगी ही नहीं । मै सरकार से इतनी प्रार्थना करता हूं कि इन बातो को स्पोर्टस–मैन स्पिरिट में ले। डैमोक्रेसी की सर्टन ग्रेसिज होती है । डैमोक्रेसी की सर्टन ग्रेसिज होती है। डैमोक्रेसी में यह नहीं होता कि अगर कोई मिनिस्टर किसी अपोजी ान के मैंबर की बातो का जवाब देता है तो वह ही मैंबर के खिलाफ इंसुने ान करे । वजीर तो मिसाल कायम करता है, डिबेट के स्टैण्डर्ड का ....

श्री अध्यक्षः देखिए, आप बहुत हाि ायारी के साथ वही बात कहना चाहते है । लेकिन मै वहां जाने नहीं दूंगा–(हंसी)

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, यूं तो मै बोल ही नहीं संकूगा, इस धेरे में मै कैसे रहूं ?–(व्यवधान)–

चौधरी बंसी लालः यह तो कल की बात पर आना चाहते है । इस पर बोलने का तो इरादा ही नहीं , बोलने को कुछ है ही नहीं।

चौधरी चांद रामः बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। स्पीकर साहब, अगर आप इजाजत देगे, तो मै अपने आपको सीमित रखूंगा। ज्यादा इधर–उधर नहीं जाऊंगा और जो पीछे बाते कही जा चुकी है, उनको दोहराऊंगा नहीं। जो बाते कही गई है, उन को दोहराने की कोि ा ा नहीं करूगा । मै यह कह रहा था कि हमारे यंहा कई बाते ऐसी आ रही है, जिसके बारे में मै समझता हूंकि इतना बड़ा बजट हमारे सामने थर्ड इंस्टालमैंट का रखा है । नई नई चीजे, नई नई बाते रखी है यह कहा गया है कि फिफथ बैटालियन एच.ए.पी. की बनाई जा रही है। मरेी समझ मेें नहीं आता कि वैल्फेयर स्टेट में पुलिस का क्या मतलब ? हमारी तो बार्डर स्टेट भी नहीं है। पुलिस की तादाद को इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है ? वैल्फेयर स्टेट में यह होता है कि पुलिस पर खर्च न किया जाए, बल्कि जो बैनिफिि ायल, कल्याणकारी विभाग है उन के ऊपर खर्च करना चाहिए। परन्तु यहां पर पुलिस की तादाद बढ़ा रहे है। क्यों बढ़ा रहे है ? यह मालूम नहीं । ज्यो–ज्यो खु ाहाली आती है, लोगो में ये कहते है कि खु ाहाली आ गई स्टेट में। खु ाहाली का मतलब यह होता है कि स्टेट मे ला ऐंड आर्डर की प्रांब्लम सुधरती है। तो फिर यह पुलिस पर खर्चा क्यों करने जा रहे है ? जो कानून व्यवस्था है, उसमें विध्न पड़ना, जरायम का होना, कोई अपराध होना,यदि इनमें सुधार होता है तो कहा जा सकता है कि कानून की व्यवस्था सुधरी। जब आप कहते है कि आपकी स्टेट के हालात सुधरे है, तो फिर पुलिस को बढ़ाने की जरूरत क्या है और क्यों उस पर इतना खर्च कर रहे है ?

यदि आप कोई सांइटिफिक आप्रेट्स काइम इंवैटीगे ान के लिए ले रहे है, तो हमारे चारो तरफ सी.आई.डी. ही सी.आई.डी. देखेगे। हम वहां क्या करते है ? क्यों इतनी सी.आई.डी. लगा रखी है ? इनकी मैजॉरिटी हे हम सात आदमी अपोजी ान में बैठे है। लेकिन अगर सी.आई.डी. इक्नामिक आफैंसिज के लिए इस्तेमाल हो, यानि जो लोग मिलावट करते है, वह स्मगलिंग करते है, उनके खिलाफ इस्तेमाल करो, फिर तो ठीक है । ने ानल हैरल्ड एक अखबार है हमारा, काग्रेस का अखबार है, उसमें हरियाणा की काफी एडवरटाईजमैंट आती है । उस अखबार में परसो खबर थी जो करनाल से एमिनेट हुई कि पुलिस कोि ा ा करती है, स्मगलिंग को रोकने क अनाज की स्मगपंलिंग रोकने की। जमींदार को बड़ा दुख होता है और यह सोचता है कि उसका पैदा किया हुआ अनाज ऊंचे भाव बेचने के लिए ट्रंको के जरिए ले जाया जा रहा है और उसमें फूड एंड सप्लाई डिपार्टमैंट का भी जिक था कि उन्होने भी कोि ा ा कर ली, पुलिस ने भी कोि ा ा कर ली, लेकिन स्मगलिंग जो है, वह लार्ज स्केल पर हो रही है और एक बड़ी प्राब्लम क्रिएट कर रही है । तो जब आप इतनी पुलिस बढ़ा रहे है तो फिर स्मगलिंग आपके बियांड कन्ट्रोल क्यों हो गई है ?

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज। आप डिमांड को देख ले, आपने पढ़ी होगी। इसमें कहां स्मगलिंग का हवाला है ? जरा चैक करके मुझे बतांए।

श्री अध्यक्षः स्मगलिंग को चैक करने का ।

I will not allow you to discuss the whole Police Department. You can discuss only that matter which is impied in the grant covered by the Appropriation Bill under discussion.

चौधरी चांद रामः मै पुलिस डिपार्टमैंट को डिस्कस नहीं कर रहा। इस महकमें को इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है मैने तो सिर्फ इतना कहा है। मैने तो इतना कहा है कि इसमें वृद्वि करने की क्या जरूरत है ? और अगर जरूरत है तो पुलिस का ईस्तेमाल ठीक ढ़ग से करे। जो इकोनोमिक ओफैसिंज है उनके खिलाफ इस्तेमाल करो न कि सब आदमियो के खिलाफ या पुलिटिकल आदमियो के खिलाफ इसका इस्तेमाल करे । इस बारे में मैने इतना ही कहना है कि पुलिटिकल आदमी को भोडो ने करे और पुलिस का ठीक ढ़ग से इस्तेमाल किया करें ।

अब फाइनैंस कार्पोरे ान के बारे में डिमांड है । फाइनैंस कार्पोरे ान का परसों यहां जिक्र आया था ओर उन्होने कहा था कि फाइनैंस कार्पोरे ान का काम बहुत अच्छा है उस का मैनेजिग डायरैक्टर एक हरिजन आफिसर है । मैने कल इसका जिक्र किया था। कल ही उसके बदली के आर्डर आ गए.....।

सिचाई व विधुत राज्य मंत्री(सरदार हरमोहिन्द्र सिह चट्ढा): बदली आफैस है क्या ?

चौधरी चांद रामः परसो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि उसका मैनेजिंग डायरैक्टर हरिजन है ओर कल ही उसके

ट्रांसफर आर्डर आ जाएं तो इसके क्या कारण हो सकते है ? गवर्नमैंट को अपने आफिसर को बदलने का अख्तियार है। मै कब कह रहा हूं कि अख्तियार नहीं है ? मै कब चैलेंज करता हूं। लेकिन इस बात की प्रोपराईटी क्या है ? मेरे को कोई वास्ता नहीं इससे नहीं है कि कहां लगता है या कैसे कहां गया ? लेकिन एक हरिजन अफसर है, हरिजनो को कर्जा दे देगा, इसमें भााबासी लेने की क्या बात थी ?

Social Welfare and Taxation Minister(Shri ShyamChand): Can tranfer of an individual be discussed on the floor of House ?

स्पीकर साहब, इनकी तो यह बात है कि जिस हरिजन अफसर को इन्होने रगड़ा लगवाना होना उसका नाम यहां ले आते है ।

श्री चांद रामः स्पीकर साहब, इन मिनिस्टर साहबकी बात को भी आप देख लीजिए। किसी को विक्टेमाइज करना ये भाबासी समझते है। लेकिन मै इनसे पूछना चाहता हूं कि विधान में लिखा है कि किसी को बगैर मौका दिए ही पनि ामैंट दी जा सकती है ?

श्री अध्यक्षः आप एप्रोप्रिए ान बिल पर बोल रहे है हो या इंडिविजअल अफसर को डिसकस कर रहे हो ? उसकी ट्रांसफर की यहां कहां रेलेवैन्सी है ? You can see yourself.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मैने तो फाईनैन्शल कार्पोरेशन की वर्किन्ग के बारे में कहा है । गवर्नमैंट ने कहा है कि उसके द्वारा हरिजनो को कर्जा देगे। हरिजनो को तो दूसरा अफसर भी कर्जा दे सकता है—(विध्न)—

श्री अध्यक्षः एप्रोप्रिएशन बिल पर जो डिस्कशन है, वह लिमिटिड है।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, ये रूल्ज मेरे पास भी हैं। —(विध्न)—

Mr. Speaker: The rule reads-

"The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matterf of public imporatance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevent demands for grants were under discussion.

चौधरी चांद रामः कर्जा देने की बात 'ऐडमिनिस्ट्रेटिव पालिसी' के तहत आती है ।

श्री अध्यक्षः ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर की ट्रांसफर क्या ऐडमिनिस्ट्रेटिव पालिसी के तहत आती है ?

चौधरी चांद रामः इन्होने कहा कि वह हरिजनो को कर्जा देगा।

State Minister for Home & Health(Shrimati Sharda Rani): The rule states theat debate shall be restricted on matters which have not already been raised while the relevant demands for grants were under discussion. कल भी, स्पीकर साहब, ये यही बात कह चुके है।—(विध्न)— मान लीजिए कि यह बात इनके लिए रैलेवैन्ट है,लेकिन कल भी तो यही बात कर चुके हैं।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, फाईनैंस कार्पोरे ान की रकम बढाई जा रही है, लेकिन इस रकम की सही डिस्ट्रिब्यू ान के लिए यह निहायत जरूरी है अपनी वैलफेयर स्टेट का नक ाा सामने रखते हुए यह सरकार कमजोर वर्गो को पैसा दे। यहां तो देखने में यह आया है कि स ाक्त वर्गो को ज्यादा दिया जा रहा है । इस सम्बन्ध में, स्पीकर साहब, मै यह कहना चाहता हूं कि कोई ऐसा रास्ता सरकार को अखितयार करना चाहिए, जिससे जो हैव नोट्स है, जो अभी तक अपने पैरो पर नहीं खड़े हुए है, जो ट्रैडी ान से दस्तकार ही चले आ रहे हैं, जैसे लोहार है, कुम्हार है, जुते बनाने वाला है या जुलाहा है, उसे ज्यादा मदद मिल सके। को—आप्रेटिव सैक्टर में इन्तजाम करके क्यों ये ऐसा नहीं कर सकते ? मै यह बात इसलिए कहना चाहता हूं ताकि इन लोगो की मदद हो सके। मुझे फाइनै ांल कार्पोरे ान को रूपया ज्यादा देने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन जितना रूपया ये तक्सीम करते है, उसमें इनको यह देखना चाहिए कि उसका वितरण भी ठीक हो । सारी प्रणाली सिर्फ इसी

बात पर निर्भर नहीं करती कि टैक्स जमा कर लो, लेकिन उसका वितरण कैसे होता है,डिस्ट्रिब्यू ान कमोडिटीज को कैसे होता है, पैट्रोनेज का डिस्ट्रिब्यू ान कैसे होता है, यह देखना भी सरकार का फर्ज है। गवर्नमैंट फैसेलिटीज का डिस्ट्रिब्यू ान अगर इन वर्गों में जाएगा, जो आज तक डिप्राइव्ड रहे हैं तो ही वैलफेयर स्टेट का नक्ा ाा, समाजवाद का नक्ा ाा सामने आएगा । इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो रूपया दिया जा रहा है, इसमें उन लोगो का वि ोश तौर पर ख्याल रखा जाए, जो प्राइमैरिली दस्तकारी का काम करते है या सड़को पर बैठे है या बड़े–बड़े मगरमच्छ, जैसे टाटा, बिरला आदि जिनको बेकार किए बैठे है।

स्पीकर साहब, इसमें एक मद है, 'रिलीफ आन एकाउंट आफ नैचुरल कैलैमिटीज। इसमें 3900000 रूपया खर्च होगा। इसमें यह लिखा है:–

"Acute famine condition have developed in ceratin districts of Haryana. The districts of Bhiwani, Mohindergarh, Rohtak and Gurgaon are particulary affected."

अब अगर काम को देखे, तो इसके बारे मे स्पीकर साहब क्या लिखा है, वह मै आपको पढ़ कर सुना देता हूं:–

"The State Government has started a progrmme of digging canal and ponds in these famine areas to provid relief to the people. But in ceratin areas where no such works are to be undertaken it has been proposed to contruct roads to provide gainful employment to the population."

इसमें तो यह लिखा है लेकिन आज तक हमारा तजुरूबा क्या है ? जहां तक इम्पलीमैंटे ान का सवाल है, हम देखते है कि नहरे कुछ एक आध जिलो में खुद रही हैं, बाकी जिलो में कोई काम नहीं नहीं है। फिर अगर मै भिवानी में जाकर देखूं । भिवानी तो मै कभी जाने के लिए तैयार हूं, किसी भी वक्त जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे भिवानी से हमदर्दी है । लेकिन जब रैवेन्यू मिनिस्टर था, मै वहां गया था। ये चीफ मिनिस्टर साहब मेरे साथ मेरे साथ गए थे ।—(विध्न)

Mr. Speaker: Order please. This isnot relevant to the Bill under discussion.

Chaudhri Chand Ram: What, Sir ?

Mr. Speaker: How is discussion on Bhiwani, you visit to Bhiwani and the visit of the Hon. Minister relevant to the Appropriation Bill under discussion.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मै यह कह रहा हूं कि भिवानी के अकाल के हालात का मुकाबला करने के लिए, जब मै रैवेन्यू मिनिस्टर था, उस वक्त दौरे पर गया था। हम चाहते थे कि अकाल के हालात ठीक हों।—(विध्न)

सिंचाई तथा विधुत मंत्री(श्री बनारसी दास गुप्त): स्पीकर साहब, इनके दौरे से क्या वहां गंगा निकल गई थी ?

चौधरी फूल चन्द(मुलाना): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, यह निर्णय हुआ था कि हर पार्टी को उसकी

स्ट्रैथ के हिसाब से समय दिया जाएगा। उनको कितना समय अलांट हुआ है, कृपया हमें यह बता दे ताकि हमे पता चले कि हमारी बारी कब आएगी।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मै यह कह रहा हूं कि पांच जिलों का जिक्र इसमें किया गया है, लेकिन सरकार हमें बता दे कि फलां–फलां जिले में इतना इतना रिलीफ का काम किया गया है । कोई एक ही जिला तो ड्राट इफैक्टिड नहीं है और भी हरियाणा कि जिले है। ये यह न सोचे कि ऐसे हालात केवल एक ही जिले मै पैदा हुए हैं। सुखे के हालात कई जगह होंगे। इसलिए रोजगार देने का काम या दूसरी फैसिलिटीज देने का काम इन्हे बैलैन्सड रखना चाहिए, ताकि किसी हिस्से को यह ि ाकायत न हो कि हमारे जिले में काम इन्हे बैलैन्सड रखना चाहिए, ताकि किसी हिस्से को यह ि ाकायत न हो कि हमारे जिले मे काम कम हो रहा है, जबकि दूसरी जगह काम ज्यादा हो रहा है।

स्पीकर साहब, मजदूरों को मजदूरी देने के बारे मं एक कानून बना हुआ है। उसके मुताबिक यह है कि खेत में काम कराने के लिए जमींदार मजदूर को सात या आठ रूपए मजदूरी देगा और जो नहीं देगा, उसको सजा होगी, लेकिन अपने काम में सरकार मजदूर से दो डिस्किं्ट ान करती है। औरत को कहते है कि इसको साढे तीन रूपए मिलेंगे और मर्द को कहते है कि इसको चार रूपए मिलेगे। मेरी समझ में नही आता कि औरत और मर्द मेें जबकि एक सा काम करते है, यह भेदभाव क्यों है ? इसके

अलावा जब गांव में प्राइवेट लोगो के लिए सात या आठ रूपये देने का कानून है तो ये अपने काम में कम क्यों देते हैं ? फिर अध्यक्ष महोदय, दे ा की प्रधानमंत्री औरत है। हमारा कांस्टीच्यू ान यह कहता है कि मैन ऐंड वूमैन में इक्वल वर्क के लिए बराबरी का सलूक किया जायेगा। इसके बावजूद भी इन्होने एक और तरिका अख्तियार कर लिया है। इन्होने औरत को कुली कहा है। मजदूर नहीं कहा, क्योंकि अगर मजदूर कहते तो चार रूपए देने पड़ते हैं। यह औरत का नाम कुली करना, स्पीकर साहब, आप ही बताएं, क्या डिगनिटी इंस्पायर करता है ?

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, हम यह औरत और मर्द का झगड़ा ही खत्म कर देंगे। हम यह कर देंगे कि जो आदमी नाप और तोल के हिसाब से जितनी मिट्टी खोदेगा, उतने पैसे दे देंगे।

चौधरी बंसी लालः ठीक है। इससे ि ाकायत नहीं रहेगी, जबकि अब लोगों को बड़ी ि ाकायत रहती है। स्पीकर साहब, जिस दे ा की पोपुले ान को आप कर्मन्य बना देंगे कि वह काम करे या न करे, उस दे ा का काम कैसे चलेगा ? मजदूर को तो उसका हक मिलना चाहिए, तभी दे ा आगे बढ सकता है।

स्पीकर साहब, एक ओर बात मै चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं। बड़े पैमाने पर औरते और लड़कियां सड़को

पर काम करने के लिए लगी हुई है, लेकिन मुझे दु:ख है कि उनकी सुविधा की देखभाल करने के लिए, कोई विमैन वैल्फेयर इंस्पैक्टर नहीं है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि काम खांडे में लगा हुआ है, लेकिन वहां खांडे का आदमी नहीं होगा। लेकिन यह करते क्या है ? कैथल के इलाके मे उठाकर या आठ दस मील से लाएंगे। यह तरीका अच्छा नहीं है। स्पीकर साहब, आप इमैजन कर सकते है। वे इतनी दूर से वहां क्यो लाएं जाएं ? आज हर गांव में लेबर सरप्लस है, ठाली है, बेकार है, तो यह आर्डर सरकार की और से जारी होना चाहिए कि वहीं के आस पास के एरिया के आदमी लगाए जाएं, ताकि वे सुबह काम पर जाएं और भााम को वापिस अपने धरो में आ जाएं ?

चौधरी बंसी लालः आप जल्दी खत्म करें। मैने भी जवाब देना है।

चौधरी चांद रामः एक दो मिनट और लूगां। स्पीकर साहब, मै कह रहा था कि यह डिस्कि ान नहीं होनी चाहिए औरत और मर्द के बीच। औरतो की मजदूरी बढानी पड़ेगी। इस बात का इन्तजाम करना पड़ेगा। यह जो मजदुरी का फर्क है यह मिटाना चाहिए। मै तो यह भी कहता हूं कि सब्सिडाइजड फूडग्रे ान देने का भी उनके लिए प्रबन्ध करना चाहिए। उनके लिए अनाज का इन्तजाम कर दे। अब वहां यह कहा गया कि चार हजार 200 दुकाने खोली है। मै कहता हूं कि क्या कोई इनक्वायरी करता है ? चीफ मिनिस्टर साहब इनक्वायरी कराएं, कितना फि ा,फी महीने

उनको आटा मिलता है। ठेकेदार लगे हुए है,कहीं सिरकीं डाली हुई है, कहीं पर तम्बू डाला हुआ है, बरसात आ जाए तो उन बेचारों को कोई धरों मे धूसने देगा ? दूसरे, सड़को पर धर होते भी नहीं। बेचारे राजस्थान से मजदूर आते है और दूसरी जगहो से आते है। मैने चीफ मिनिस्टर साहब की स्टेटमैंट पढी थी। उन्होने अपने अफसरो को हुक्म दिया कि जहां तक कोि ा ा हो, हरियाणा के आदमियों को लगाया जाये। उनकी बात तो ठीक है लेकिन इम्पैलीमैंट कितनी होती है ? मुझे हमदर्दी है, राजस्थान से, दूसरे सूबो से लेकिन यह अच्छी बात नहीं है कि यहां हमारी स्टेट के लोगो को कोई रोजगार न मिले। हमें इनका भी इंतजाम करना चाहिए और उनका भी करना चाहिए जो 150–20 मील से चलकर के यहां बेचारे काम करते है। उन बेचारों के बच्चे रेत में खेलते है। हम इस प्रकार से कहां गांधी जी के स्वप्न को पूरा कर पाएगे ? उन्हाने कहा था ''बाल्मीकि कन्या राश्ट्रपति बनेगी''। बाल्मीकी कन्या तो राश्ट्रपति तब बनेगी, जब उसकी एजुके ान होगी, वह पढेगी, उसको पढ़ने का मोका मिलेगा। वे अपने बच्चो को ले–ले कर रोजगार की ताला ा में मिट्टी खोदने के लिए धुमते हैं। दूसरे वे 150–200 मील से चलकर यहां आते है। वैसे भी यह भार्म की बात है कि हमारी औरते आज भी बोझा ढोने का काम करती हैं। वैस्टर्न कन्ट्रीज में यह बोझा ढोने का काम नहीं होता है। वे सारे exerting jobs म ाीनरी से करते है। लेकिन चलो, हमारा दे ा गरीब है, पापुले ान ज्यादा है। हमारे पास मिट्टी ढोने का

काम भी सही नहीं है, लेकिन मिट्टी का जो काम करते है, उनके बारे में मै पढता था और हमारे एक इकोनोमिक असूल भी है ।

श्री ओमप्रका ा गर्गः आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर । आनरेबल मैंबर फरमा रहे हैं कि यह बेगार बोझा ढोने का काम औरते काती हैं।मै यह कहता हूं कि ये मेरे आनरेबल मैंबर, सारा बोझा ढोने का काम अपने सिर पर करते है। सबने बेगार छोड़ दी है पर ये कर रहे है।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब इस आदमी का आप देखे, यह तो नचवा था। मुसलमान नचाया करते थे। पता नही यह कैसा आदमी है ? क्यो हमें मजबूर करता है ? हम भी तो अपने आप पर कन्ट्रोल करते हैं। इसको भी कन्ट्रोल करना चाहिए। स्पीकर साहब मै यह कह रहा था कि हमने इकोनोमिक्स में पढा था the more disagreeable the work, more the wages. यह सारे वैस्टर्न कन्ट्रीज में इकोनोमिक्स का असूल है । जितना नफरत का काम है, जितना कश्ट का काम है, मेहनत का काम है उतनी ही मजदूरी मिलेगी, लेकिन यहां दे ा में यह है कि जितना नफरत का काम है झाडू का काम है, खुदाई का काम है, उसमें उतनी ही कम मजदुरी मिलेगी। तो इस सिस्टम को जम्हूरियत के अन्दर बदलने की जरूरत है।

अब मै को–आप्रेटिव के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। कोआप्रेटिव के बारे मे आज मिनिस्टर साहब ने भी कहा और यह

मांग है, उसमें भी उन्होने काफी रूपया मांगा है। कोआप्रेटिव की मद में है फर्टेलाइजर, खेती के मामले में। हमारी जो मार्किटिंग फैडरे ान है, वह जमीदारो से काफी कमी ान लेती है । उस कमी ान को कम करना चाहिए। जितनी कास्ट पर चलता है और आखिर में जब जमीदार को सप्लाई होता है, इसमे बड़ा मार्जन है। इसे कितना कम किया जा सके,उतना कम किया जाना चाहिए। कोआप्रेटिव के मामले में एक सवाल सुबह था। मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हम आगे के लिए जो डिस्ट्रिब्यू ान वह ठीक करेगें लेकिन ऐसे हेरा फेरी के अनेक केसिज हैं, हर गांव में है ओर यह केसिज क्यों होते है, यह केसिज इसलिए होते है कि सैक्रेटरी ओर इंस्पैक्टरज जो है, वे उन सोसायटी के खजांची के साथ मिल जाते है। भाायद आप सभी के नोटिस में यह होगा । जब भी इनक्वायरी कराएंगे वही चैक करेंगे। को–ओप्रेटिव वालो का नीचे तक नौ–नौ,दस–दस रूपये हरेक का कुछज हिस्सा होता है। इसलिए यह गड़बड़ होती है । हमने यह मांग की थी कि कोआप्रेटिव सोसायटीज के लिए आप कोि ा ा करे और कोई सैल मुकरर्र मांग करे कि जब भी कोई ि ाकायत आए, आप दौरे करवाएं। वहां गांव मे जाये और उसकी रिपोर्ट मिनिस्टर साहब के पास आए कि रिकवरी ठीक हुई है या नहीं वाकई ही इसी आदमी ने कर्जा लिया था या किसी और ने लिया था। जो आदमी यह साबित करने के लिए तैयार है कि साहब मैने लिया था ही नहीं तो फिर रिकवरी क्यों की जाती है ? इस तरह के वाक्यात को खत्म करना चाहिए। इस सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स में लोन ऐड

एडवांस का भी जिक्र है। एग्रीकल्चर के लिए 108 लाख रूपये के करीब कर्जा दे रहे हैं। मै इस बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि इन लोगो के लिए कोआप्रेटिव बैंक खुलवाए। कुछ ऐसा इन्तजाम कीजीए, ताकि सीधा उनका ताल्लुक हो जाए, और वे अपनी किताब दिखाकर, जैसे ट्रेडर यानि व्यापारी करता है, या कोई और करता है, पैसे ले सके । उस तरह का इन्तजाम हो जाना चाहिए। स्पीकर साहब, मै आपको ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, लेकिन मै समझता हूं कि उन्हे भिखारी बनाने की आदत नहीं होनी चाहिए । तहसीलदार के सामने, नायब तहसीलदार के सामने तकावी लोन के लिए सिफारि ा कराएं। पोलिटिकल आदमी की कि हमारा दौ–सौ या चार–सौ रूपए लोन मंजूर करवा दो। इस सिस्टम का आप किसी तरह से बदलो। जो ऐग्रीकल्चरिस्ट प्रोडयूसर है, उनमें कान्फीडैंस पैदा करे, तो मै समझता हूं कि वह बड़ी भारी सेवा होगी।

मै थोड़ा सा सड़को के बारे में भी जिक्र करना चाहता हूं । स्टेट हाईवेज बहुत जल्दी में बनाई गई है। उसमें बहुत जल्दी पैचिज अपीयर हो गए हैं। उन्होने कहा है कि एक करोड़ रूपया तो बहुत कम है । 244 लाख रूपया मांग रहे है । स्टेट हाईवेज की मेंटीनैंस के लिए रूपया मांग रहे है। तो यह इस बात का सबूत है जो कि क्वालिटी है, जब यह रोड़ बनाई गई, तो अच्छी नहीं थी। जल्दी में हर चीज खराब होती है। हम उस वक्त भी कहते थे कि आहिस्ता–आहिस्ता बना लो, ठीक उसी तरह से

बना लो। अगर यह प्रोग्राम आहिस्ता–आस्ता चलता तो इतना वेस्ट पैसा न होता और आज स्टेट हाईवेज की मेंटीनैंस पर हम को इतना खर्च न करना पड़ता।

मै ट्रांसपोर्ट का भी जिक्र करना चाहता हूं। 200 बसो का जिक्र आया है कि खरीदी जाएंगी। मैने चीफ मिनीस्टर साहब को चिट्ठी लिखी थी कि बाडी बिल्डिंग के लिए पांच महीने से चेसिज वहां खड़ी है। गर्मी मे वियर ऐंड टीयर होता है, जंग लगता है। यह ठीक है उन्होने कहा कि हम को टैन्डर लेने में देर हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस स्टेट में बसों की भाार्टेज हो, ओवर क्राउडिंग हो, बसे मिलती न हों और आपके पास 200 चैसिज खड़ी हो, और भी ज्यादा खड़ी होगी, मुझे सही मालूम नहीं है.....

मुख्यमंत्री(चौधरी बंसी लाल): आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। यह जो बसिज की बात है, इस पर नये बजट में गवर्नर एड्रैस पर डिस्क ान हो चुका है। दुबारा इस बात की रैपीटी ान करने की क्या जरूरत है ? The Hon'ble Member has already taken more than half an hour. Will he continue till the House rises ?

Mr. Speaker: I have already asked him to wind up.

Chaudhri Bansi Lal: No. He is not winding up. He is repeating.

चौधरी चांद रामः चौधरी, मै तो आपकी इतलाह के लिए कह रहा हूं। यहां पर वर्क ाप का जिक आया है.....(विध्न)

श्री अध्यक्षः आपने जो आर्गूमैंट्स दी है वह during the previous discussion advance उनको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है।

चौधरी चांद रामः मै तो इसलिए जिक कर रहा था कि सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स में जिक आया है।

श्री अध्यक्षः इस पर ता कितना ही डिस्क ान हो चुका है ।

चौधरी चांद रामः सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स में दो सौ बसो का जिक है।

श्री अध्यक्षः सप्लीमेंटरी एस्टीमैंट्स में जिक होगा। यह तो मै मानता हूं । लेकिन(व्यवधान)–

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुन लीजिए। मै यह कहना चाहता हूं कि हमारा बहुत सारा रूपया वैस्टफुल कामों में जाया होता है।

श्री अमर सिंहः आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर । मै आपकी स्पैसीफिक रूलिंग चाहता हूं । यह ठीक है कि इसका एप्रोप्रिए ोन बिल के अन्दर जिक है लेकिन आज तक जितना हमने डिस्क ान गवर्नर एड्रैस पर बजट पर, ओरिजनल

एप्रोप्रिए ान बिल पर किया है उसमे सारी की सारी बाते हाउस में आ चुकी है। अगर कोई नयी बात कहनी हो तो ठीक है। अगर इन्ही बातो को रिपीट करना है तो हाउस का टाईम ही जाया होता है।

श्री अध्यक्षः ठीक है।

Chaudhri Bansi Lal: Everything is being repeated.

Mr. Speaker: yes, there should be no repetition.

Chaudhri Chand Ram: I will try to avoid repetion.

Mr. Speakr: Please wind up.

चौधरी बंसी लालः आन ए प्वांयट आर्डर सर। किसी पार्टी की, किसी मैम्बर की स्पीच की टाईम लिमिट तो होगी ।

Mr. Speaker: I have to asked him to wind up.

Chaudhri Bansi Lal: He is not winding up. He has taken more than half an hour. There should be some limit. स्पीकर साहब इन्होने 15 मिनट पहले भी कहा था कि दो मिनट में खत्म करता हूं।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मै एक बात यहा कह रहा हूं। हमारे रोडवेज के चण्डीगढ डिपो में आग लगी। उसकी इन्कवायरी करवाये । अगर वाकई निश्पक्ष तौर पर उसकी इन्कवायरी कराई जाये तो असल बात का पता लगेगा। कोई कहता है कि 7 लाख का, तो कोई कहता है 30 लाख का नुकसान

हुआ। टायरों के बारे मैं यह लिखत हैं कि हमारे पास डीलक्स बसों के लिए स्टोर में कोई टायर नहीं हैं लेकिन आगे ये कहते है कि इतने टायर वहां पर जलाये गए.....(धंाटी).....अगर आपका ज्यादा समय देने का मुड नहीं है तो जो समय आपने दिया उसके लिए मै आपका भाुकिया अदा करता हूं कि और सरकार से यह उम्मीद करता हूं कि जो थोड़ी बहुत बाते मैने कहीं है, आ ाा है उन पर गौर करेंगे।

मुख्यमंत्री(चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, चौधरी चांद राम ने जो बाते कहीं, उनमें से बहुत सी ही नहीं, मै समझता हूं कि सैंट–परसैंट रैपीटी ान था । उन चीजो का कुछ ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है। एक बात उन्होने यह कही जो लेडीज काम करती है,उनको कुली न कहकर लेबर कहा जाये। यह इंस्ट्रक ान हमने पहले ही जारी कर दी है कि अब सब को नाप कर काम दो। उसमें कोई झगड़ा नहीं हैं। लेडी काम करती है, आदमी करता है या बच्चा करता है इसको वह जाने। दूसरी बात इन्होने यह कही कि लोकल लेबर हो। हमारी रिटन इंस्ट्रक ान है हर आफिसर को लोकल लेबर हो। मैने यह गवर्नर के एड्रैस पर हुई डिस्क ान के जवाब में भी बताया था कि हमारी यह हिदायते है कि लोकल लेबर हो। लेकिन अगर लेबर काम न करे तो जा हमने काम भारू किया है उसको तो पूरा करना है । इसलिये बाहर वालो को भी काम देना पड़ेगा। अगर लेबर खुदाई के नाप–तोल के हिसाब से पैसे न लेना चाहे तो और डेली के हिसाब से पैसे

लेना चाहे तो डेली के हिसाब से हम किसी को पैसे नही देने वाले नहीं है। काम कराकर नाप करके क्यूबिक फीट के हिसाब से पैसे देंगे। एक बात मै आपको और बताऊं। मेरे लायक दोस्त यह बोल रहे थे कि उनके लिए कोई साधन नही है, कोई फैसिलिटीज नहीं है। उनको भाायद इस बात का इल्म नहीं है कि हरियाणा प्रान्त मै जितनी ऐसी ओरते, जितने आदमी और बच्चे है उन सब को पूरी फैसिलिटीज है । उन ओरतो के पास साल साल या दो दो साल के जो बच्चे होत है उन बच्चो को रखने के लिए हमने स्कूल्ज बना रखे है । आया उनको पालती है। 15 पैसे रोज के हिसाब से खाने के लिए हम उनको लेबर के अलावा देते है । दूसरी बात यह है कि औरतो ओर आदमियो को देखने के लिए जा औस–पड़ोस का प्राइमरी हैल्थ सैंटर है एक बार डाक्टर का आना जरूरी है । जरूरत पड़ जाये ता उससे ज्यादा बार भी भेजा जा सकता है। इस तरह से इन चीजो का केवल रैपीटी ान था। इन भाब्दो मे साथ मै हाउस से यह अपील करूगा कि इस बिल को पास कर दिया जाये।

Mr. Speaker: Quesion is.....

that the Haryana Appropiration(No.3)Bill be taken into considratin at once.

The motion was carried

Mr. Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause.

CLAUSE 2 & 3

Mr. Speaker: Question is.....

That clauses 2 and 3 stand part of the bill.

The motion was carried.

SCHEDULE

Mr. Speaker: Questin is .....

That the schedule be the schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Questin is .....

That clause 1 stand part of the Bill.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker: Questin is .....

That Enacting Formula be the Enanting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Questin is .....

That title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister(Shri Ram Saran Chand Mital): Sir, I beg to move-

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation(No.3) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation(No.3) Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा रिक्वीजी ानिंग एन्ड एक्वीजी ान आफ मूवेबल प्रोपर्टी बिल, 1975

State Minister for Home & Health(Shrimati Sharda Rani): Sir, I beg to introduce the Haryana Requisitioning and Acquistion of move. I also beg to move-

That the Haryana Requisitioning and Acquiestion of moveale property Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Requisitioning and Acquiestion of moveale property Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Requisitioning and Acquiestion of moveale property Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause.

SUB-CLAUSE(2) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker: Question is-

That sub-clause(2) of clause 1 stand part of Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 19

Mr. Speaker: Question is-

That clauses 2 to 19 stand part of the Bill.

Th motion was carried.

SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker: Question is-

That sub clauses (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENATING FORMULA

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be Title of the Bill.

The motion was carried.

Shrimati Sharda Rani: Sir I beg to move-

That the Haryana Requisioning and Acuqistion of moveable property Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Requisioning and Acuqistion of moveable property Bill be passed.

चौधरी चांद राम(बबैन–अनुसुचित जाति): स्पीकर साहब, मै सदन का ज्यादा समय नहीं लूगा। जहां तक बिल के मुद्दे का सम्बन्ध है, वह ठीक है कि प्लड्ज रायट्स और स्ट्राईक्स या ऐनी अदर परपज के लिए मूवेबल प्रोपर्टी को ऐक्वोयर कर सकते है। लेकिन मै समझता हूं कि गवर्नमैंट की इस बारे में बहुत अच्छी तरह से हिदायत जारी होनी चाहिए और इस मामले में किसी तरह का कोई प्रै ार नहीं होना चाहिए। मुझे खेद है कि इसको पोलिटीकल ढंग से इस्तेमाल किया जायेगा क्योंकि आम तौर पर हम कभी कभी यह देखते है कि किसी पड़ौसी के साथ एक चीज

हुई नहीं ओर किसी दूसरे के साथ वह चीज कर ली। यह इसलिए कर ली क्योंकि वह किसी दूसरी तरफ का आदमी है और अपने आदमी को छोड़ दिया। मेरा कहने का यह मतलब यह है कि इससे लोगो में हार्ट –बर्निंग होती है। मै समझता हूं कि इस मामले के अन्दर गवर्नमैंट इस तरह का व्यवहार करेगी कि उसमें निश्पक्षता नहीं होगी।

सिचाई तथा विधुत मंत्री(श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय यहां तक हुआ है कि चीफ मिनिस्टर तक की जमीन ऐक्वायर हुई है,बोलो इससे ज्यादा क्या जो सकता है ?.....

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री: वे मूवेबल प्रोपर्टी की बात है । क्या आपको मूवेबल ओर इम्मवेबल का भी पता नहीं है ?

चौधरी चांद राम: मूवेबल प्रोपर्टी बताइये किसकी हुई है। यह तो मूवेबल प्रोपर्टी ऐक्वायर हो सकती है तो मूवेबल प्रोपर्टी में भी कोई किसी का लिहाज नहीं हो सकता । इन्हाने यह कहा कि पोलिटीकल प्रै ार से कोई चीज नही होनी चाहिए, इनको यह तो देखना चाहिए कि जब चीफ मिनिस्टर की जमीन की एक्वीजी ान हो सकती है तो मूवेबल में किसी के साथ क्या लिहाज होगा ?.....

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री(श्री मति भाारदा रानी): अध्यक्ष महोदय , चौधरी चांद राम जी को यूं ही वहम है। पहले यह ऐक्ट पंजाब मूवेबल प्रोपर्टी ऐक्ट के नाम से था जिसको

सुप्रीम कोर्ट ने इस कारण से रिजैक्ट कर दिया था कि इसके अन्दर अनकन्ट्रोल्ड वावर्ज थी...(व्यवधान).... अब चौधरी चांद राम जी जवाब तो सुन लीजिये । अध्यक्ष महोदय, मै चौधरी चांद राम जी से आपके जरिये निवेदन करूगीं कि मेरा वे जरा एक मिनट सुन ले। इस ऐक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिये रिजैक्ट कर दिया था कि इसमें काफी प्रोवीजन नहीं था। जो अथोरिटी थी, उसको अनकन्ट्रोल पावर्ज दी गयी थी। अध्यक्ष महोदय, अब वे इसको पूरा पढकर देख ले। इसमें अपील मे जाने की बहुत से रास्ते खुले है। इसलिये किसी के साथ जबरदस्ती या ज्यादती होने का कोई कारण नहीं है । इसी लिये पंजाब के ऐक्ट को रीपील करके यह बिल लाया गया है।

Mr. Speaker: Questionis

That the Haryana Requisitioning and Acquisition of Moveable Property Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा डिवैल्पमैंट एण्ड रेगुले ान आफ अर्बन एरियाज बिल, 1975

Social Welfare and Taxation Minister(Shri Shyam Chand): Sir, I beg to introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Bill,1975

I beg to move-

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Bill be taken into consideration at once.

चौधरी चांद राम(बबैन अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, इस बिल का जो मुद्दा है वह ठीक है कि डिवेल्पमेंट रैगुलेट होना चाहिए। कालोनाइजर्ज पर कोई लगाम लगानी चाहिए ताकि भाहरो में तरक्कियात होती है, उनका नाजायज फायदा न उठाएं और इस तरह की कोई चीज न करे जिसकी वजह से ज्यादा अमीर बन जाए। बात तो ठीक है, उद्दे य तो ठीक है लेकिन ऐक्चुअली यह होता है कि आपने नोटीफिके ान तो इ ा कर दिया कि पांच किलोमीटर के एरिया के अन्दर कोई क्रय या बिक्री नहीं होगी या कोई आबादी नहीं बनेगी लेकिन आप अर्सा तो देखिए कि कितने–कितने दिन तक आप उसका इस्तेमाल ही नही करते.....

मुख्यमंत्री(चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब नए कानून में यह प्रोविजन है कि दफा 4 का नोटीफिके ान कर देते हैं और तीन साल तक ऐक्वायर नहीं करते तो तीन साल के बाद वह आटोमैटीकली डिनोटीफाई हो जाएगा ।

चौधरी चांद रामः आप तीन साल का टाईम तो देखिए। किसी आदमी की जैनविन जरूरत होती है, उसके धर पर कोई खर्चा आज जाता है तो वह कैसे करेगा.....

चौधरी बंसी लालः वह प्लाट बनाकर तो नहीं बेच सकता। 36 महीने का समय कितना लम्बा होता है । फर्ज किया कि किसी के पास दो किल्ले जमीन है और उसको कर्जा उतारना है उसको अपनी लड़की की भाादी करनी है या उस जमीन को बेचकर उसने कोई बिजनैस भाुरू करना है। दो किल्ले जो जमीन है वह मुकम्मल तो बिकती नहीं। मुकमल बेच सकता है तब तो ठीक है लेकिन मुकम्मल बिकती नही और थोड़ी थोड़ी जमीन करके बेच नहीं सकता, उस पर पाबन्दी है।.....

चौधरी बंसी लालः बेचने पर कोई पाबन्दी नहीं है। मुकम्मल बेच सकता है । बेचने पर कोई पाबन्दी नहीं है।

चौधरी चांद रामः चौधरी साहब, आप तो देहात के आदमी हैं आप तो जानते हैं कि मुकम्मल कोई लेने वाला नहीं होता। यह तो ठीक है कि मुकम्मल बेचने पर कोई पाबन्दी नहीं हैं, लेकिन मुकम्मल तो कोई लेता नहीं जब तक कि प्लाट मे न बेची जाए।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, मैं क्लेरीफाई कर देता हूं एक बात कि गरीब आदमी प्लाट ले लेता है और न उसको कोई सड़क की फैसिलिटी मिलती है, न पानी के नलके की और न

सिवरेज की फैसिलिटी मिलती है। इसलिए इसको रैगुलेट करना जरूरी है और जो गरीब आदमी हैं उनको भी जमीन देना जरूरी है। बेचने के लिए किसी के पास जमीन है और उसकी जमीन ऐक्ट के तहत आत है तो वह बहुत गरीब होना तो मुि कल है। It is in the interest of the poor people.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मैंने भाुरू में कहा था कि मैं इसके मुद्दे से सहमत हूं लेकिन देखने में आया है कि कालोनाइजरों ने प्लाटों की जमीन ली और ओवर नाइट अमीर बन गए। यहां तक हुआ कि लोगों ने उसको बयाना दे दिया और रजिस्ट्री भी नहीं हुई। ऐसे केसिज काफी हुए हैं कि बयाना ले लिया और रजिस्ट्री नहीं हुई और प्लाट बेचने भाुरू कर दिये। स्पीकर साहब, यह एक जैनविन डिफिकल्टी है।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे कि जल्दी से जल्दी डिस्पोज आफ कर देंगे।

चौधरी चांद रामः ठीक बात है।

समाज कल्याण मंत्री (श्री भयाम चन्द): स्पीकर साहब, इसमें प्रोविजन है कि अगर बेचना चाहे तो ....

चौधरी बंसी लालः चलो, बात खत्म हुई।

Sh. Shyam Chand: Moreover, he can take permission from the Director.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Sub-Clauses (2) and (3)

of Clause 1

Mr. Speaker: Question is:-

That Sub-Clauses (2) and (3) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2 to 25

Mr. Speaker: Question is:-

That Clauses 2 to 25 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is:-

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker: Question is:-

That the Enacting Formula be teh Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is:-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Social Welfare & Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): Sir, I beg to move:-

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion Moved:-

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned sine-die.

11-37 A.M.

(The Sabha then adjourned sine-die.)